



# भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण

(सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार)

## National Highways Authority of India

(Ministry of Road Transport and Highways, Govt. of India)

परियोजना कार्यान्वयन इकाई, सोहना / Project Implementation Unit, Sohna

डीवीई किमी० ०+००० इण्टरचेंज पर, गुरुग्राम-सोहना रोड, गुरुग्राम, (हरियाणा) - 122102

Interchange at KM. 0+000 of DVE, Gurugram Sohna Road, Gurugram-122102

E-mail: piusohna@nhai.org | piusohna@gmail.com | Tel: 0124-2978623 | Web: www.nhai.gov.in



NHAI/PIU-Soh/PAB/12004/Forest-Alwar/2023/D- 6021

Dated: 01.08.2023

To,

The Secretary (Forest),  
Secretariat Building,  
Rajasthan Government,  
Jaipur, Rajasthan.

Sub Consultancy Services for feasibility study and preparation of Detailed Project Report for Development of Economic Corridors, Inter Corridors and Feeder Routes to improve the efficiency of freight movement in India under Bharatmala Pariyojana (Lot-6/Package-4) - Paniyala-Alwar-Barodameo - Submission of Compliance Report of Stage-I Forest Clearance for Forest Diversion proposal no. FP/RJ/ROAD/150326/2021 - reg.

Ref.: Stage-I Forest Clearance letter for Forest Diversion proposal no. FP/RJ/ROAD/150326/2021 vide no. प.1(28) वन/2023 dated 19.05.2023 (total area to be diverted: 0.76 ha.)

Sir,

Please refer to letter cited under reference vide which Stage-I forest clearance received for the forest diversion for the subject project. In this regard, please find attached herewith Stage-I compliance report for further necessary action.

2. In compliance to the conditions of the Stage-I clearance letter, it is to mention that funds in CAMPA Account for Rs. 10,86,913/- has already been deposited vide RTGS bearing no. "ICICIR52023072000344006/UBIN0996335/RAJASTHANCAMPA" dated 20.07.2023 against challan application no. "61150326191" generated in PARIVESH e-portal dated 14.06.2023, as detailed in the compliance report.

3. Therefore, it is requested to kindly issue Stage-II clearance and provide working permission so that the project work may proceed immediately considering the importance of the project of national importance & strategic location.

Thanking you.

Yours faithfully,

  
01/08/2023

Project Director  
PIU-Sohna

Project Director  
NHAI, PIU - Sohna

### Copy to for information:

1. Principal Chief Conservator of Forests (HoFF), Forest Department, Government of Rajasthan.
2. Additional Principal Chief Conservator of Forests (FCA).
3. Deputy Conservator of Forests, Alwar.



# भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण

(सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार)  
**National Highways Authority of India**  
(Ministry of Road Transport and Highways, Govt. of India)



परियोजना कार्यान्वयन इकाई, सोहना / **Project Implementation Unit, Sohna**  
डीवीई किमी 0+000 इण्टरचेंज पर, गुरुग्राम-सोहना रोड, गुरुग्राम, (हरियाणा) - 122102  
Interchange at KM. 0+000 of DVE, Gurugram Sohna Road, Gurugram-122102

E-mail: piusohna@nhai.org | piusohna@gmail.com | Tel: 0124-2978623 | Web: www.nhai.gov.in

## STAGE-I COMPLIANCE REPORT

**Forest Diversion Proposal No.: FP/RJ/ROAD/150326/2021**

**Forest area: 0.76 ha.**

**Stage-I Clearance obtained from Forest Department, Government of Rajasthan via letter no. प. 1 (28) वन/2023 dated 19.05.2023**

क्र. सं.	स्थितिया	अनुपालन
1.	वन भूमि की वैधानिक स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होगा।	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा इस आशय का वचनबद्धता प्रमाण पत्र संलग्न है कि वन भूमि की वैधानिक स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होगा। (संलग्नक-1)
2.	प्रत्यावर्तित वन भूमि का उपयोग किसी अन्य प्रयोजन के लिये नहीं किया जावेगा।	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा इस आशय का वचनबद्धता प्रमाण पत्र संलग्न है कि प्रत्यावर्तित वन भूमि का उपयोग किसी अन्य प्रयोजन के लिये नहीं किया जावेगा। (संलग्नक-2)
3.	रात्रि केमपिंग नहीं की जायेगी।	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा इस आशय का वचनबद्धता प्रमाण पत्र संलग्न है कि रात्रि केमपिंग नहीं की जायेगी। (संलग्नक-3)
4.	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा निर्माण कार्य के दौरान स्थल पर कार्यरत मजदूरों/स्टाफ को रसोई गैस/केरासिन तेल आपूर्ति की जायेगी, ताकि निकटवर्ती वनों को क्षति न हो।	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा इस आशय का वचनबद्धता प्रमाण पत्र संलग्न है कि निर्माण कार्य के दौरान स्थल पर कार्यरत मजदूरों/स्टाफ को रसोई गैस/केरासिन तेल आपूर्ति की जायेगी, ताकि निकटवर्ती वनों को क्षति न हो। (संलग्नक-4)
5.	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तावित वनभूमि के अतिरिक्त आस-पास की वनभूमि से/पर निर्माण	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा इस आशय का वचनबद्धता प्रमाण पत्र संलग्न है कि प्रस्तावित वनभूमि के अतिरिक्त आस-पास

**Project Director**

प्रधान कार्यालय : जी-5 एवं 6, सेक्टर-10, द्वारका, नई दिल्ली-110075, दूरभाष: 011-25074100/25074200, वेबसाइट: <https://www.nhai.gov.in>

Corporate Office : G- 5 & 6, Sector - 10, Dwarka, New Delhi - 110075, Tel.: 011-25074100/25074200, Website: <https://www.nhai.gov.in>

क्र. सं.	स्थितिया	अनुपालन
	कार्य के दौरान मिट्टी/पत्थर काटने एवं भरने का कार्य नहीं किया जावेगा।	की वनभूमि से/पर निर्माण कार्य के दौरान मिट्टी/पत्थर काटने एवं भरने का कार्य नहीं किया जावेगा। (संलग्नक-5)
6.	प्रयोक्ता अभिकरण वर्तमान एवं भविष्य में योजना पर लागू सभी नियम, कानून तथा दिशा निर्देशों का पालन करेगा।	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा इस आशय का वचनबद्धता प्रमाण पत्र संलग्न है कि प्रयोक्ता अभिकरण वर्तमान एवं भविष्य में योजना पर लागू सभी नियम, कानून तथा दिशा निर्देशों का पालन करेगा। (संलग्नक-6)
7.	प्रत्यावर्तित क्षेत्र के आस-पास में वनस्पति / वन्यजीव (Flora/Fauna) की क्षति न होने की यूजर एजेन्सी की जिम्मेदारी रहेगी एवं इनको संरक्षित रखने की जिम्मेदारी भी यूजर एजेन्सी की होगी।	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा इस आशय का वचनबद्धता प्रमाण पत्र संलग्न है कि प्रत्यावर्तित क्षेत्र के आस-पास में वनस्पति / वन्यजीव (Flora/Fauna) की क्षति न होने की यूजर एजेन्सी की जिम्मेदारी रहेगी एवं इनको संरक्षित रखने की जिम्मेदारी भी यूजर एजेन्सी की होगी। (संलग्नक-7)
8.	उप वन संरक्षक द्वारा विद्युत लाईन के नीचे रिक्त पड़े स्थानों पर छोटे / बौने पौधों (औषधीय महत्व) के वृक्षारोपण की योजना बनाकर मुख्य वन संरक्षक से अनुमोदित करा प्रयोक्ता अभिकरण के व्यय पर वृक्षारोपण करावा जावेगा।	इस शर्त को प्रकरण में जारी स्वीकृति में संशोधन द्वारा हटा दिया गया है। (संशोधन पत्र क्रमांक प. 1 (28) वन/2023 दिनांक 09.06.2023)
9.	प्रयोक्ता अभिकरण, सैद्धान्तिक स्वीकृति की पालना के साथ एफ.आर.ए. सर्टिफिकेट प्रस्तुत करावेगा। तदोपरान्त ही विधिवत स्वीकृति पर विचार किया जावेगा।	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा सैद्धान्तिक स्वीकृति की पालना के साथ एफ.आर.ए. सर्टिफिकेट प्रस्तुत किया जा रहा है। (संलग्नक-8)
10.	प्रयोक्ता अभिकरण के व्यय पर वन विभाग द्वारा शून्य से 10 वृक्षों का पातन होने पर 100 वृक्षों तथा 10 से अधिक वृक्षों का पातन होने पर पातन किये जाने वाले वृक्षों का दस गुना संख्या में वृक्षों का वृक्षारोपण एवं 10 वर्षों तक रखरखाव किया जयेगा। इस हेतु प्रयोक्ता	वन विभाग द्वारा शून्य से 10 वृक्षों का पातन होने पर 100 वृक्षों तथा 10 से अधिक वृक्षों का पातन होने पर पातन किये जाने वाले वृक्षों का दस गुना संख्या में वृक्षों का वृक्षारोपण एवं 10 वर्षों तक रखरखाव किया जयेगा। इस हेतु प्रयोक्ता अभिकरण

क्र. सं.	स्थितिया	अनुपालन
	अभिकरण द्वारा वर्तमान दरों का समाहित करते हुये राशि वेबपोर्टल OSMFWP (Online Submission & Monitoring of Forest & Wildlife Clearance Portal) द्वारा सृजित ई-चालान द्वारा जमा की जायेगी।	द्वारा वर्तमान दरों का समाहित करते हुये राशि वेबपोर्टल OSMFWP (Online Submission & Monitoring of Forest & Wildlife Clearance Portal) द्वारा सृजित ई-चालान द्वारा जमा किया गया है। Demand note (संलग्नक -9), e-challan (संलग्नक -10), RTGS details (संलग्नक -11) एवं CAMPA Confirmation (संलग्नक -12) की छायाप्रति संलग्न है।
11.	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा माननीय उच्चतम न्यायालय के रिट पिटीशन (सिविल) 202/1995 के अंतर्गत आई.ए. संख्या 566 एवं भारत सरकार के पत्र संख्या 5-3/2007-एफ.सी. दिनांक 05.02.2009 के तहत में दिये गए आदेशानुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन.पी.वी.) की निर्धारित राशि जमा की जायेगी।	माननीय उच्चतम न्यायालय के रिट पिटीशन (सिविल) 202/1995 के अंतर्गत आई.ए. संख्या 566 एवं भारत सरकार के पत्र संख्या 5-3/2007-एफ.सी. दिनांक 05.02.2009 के तहत में दिये गए आदेशानुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन.पी.वी.) की निर्धारित राशि challan no. 61150326191 एवं RTGS ICICR52023072000344006/UB IN0996335/RAJASTHANCAMPA के तहत दिनांक 20.07.2023 में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा जमा कर दिया गया है। Demand note (संलग्नक -9), e-challan (संलग्नक -10), RTGS details (संलग्नक -11) एवं CAMPA Confirmation (संलग्नक -12) की छायाप्रति संलग्न है।
12.	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा माननीय उच्चतम न्यायालय के रिट पिटीशन (सिविल) 202/1995 के अन्तर्गत आई.ए. संख्या 566 एवं भारत सरकार के पत्र संख्या 5-3/2007-एफ.सी. दिनांक 05.02.2009 तथा पत्र 12-	माननीय उच्चतम न्यायालय के रिट पिटीशन (सिविल) 202/1995 के अन्तर्गत आई.ए. संख्या 566 एवं भारत सरकार के पत्र संख्या 5-3/2007-एफ.सी. दिनांक 05.02.2009 तथा पत्र 12-

क्र. सं.	स्थितिया	अनुपालन
	2/2010-CAMPA दिनांक 09.06.2016 में दिये गए आदेशानुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन.पी.वी.) की निर्धारित राशि जमा की जावेगी। उपरोक्त अनुदेशों के अनुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य तथा दूसरी सभी निधियां प्रतिपूर्ति पौधरोपन निधि प्रबंधन तथा योजना प्राधिकरण के तदर्थ निकाय के वेबपोर्टल OSMFWP द्वारा सृजित ई-चालान द्वारा जमा करायी जायेगी। जिसके उपरांत ई-चालान की छाया प्रति, जमा की गई धनराशि का बैंक चालान/यूटीआर संख्या/एनईएफटी नम्बर की छाया प्रति सहित सैद्धान्तिक स्वीकृति की अनुपालना आख्या (जिसमें जमा की गई राशि का मदवार विवरण हो) प्रेषित की जाए, तदोपरांत विधिवत स्वीकृति पर विचार किया जावेगा।	2/2010-CAMPA दिनांक 09.06.2016 में दिये गए आदेशानुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन.पी.वी.) की निर्धारित राशि challan no. 61150326191 एवं RTGS ICICR52023072000344006/UB IN0996335/RAJASTHANCAMPA के तहत दिनांक 20.07.2023 में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा जमा कर दिया गया है। Demand note (संलग्नक -9), e-challan (संलग्नक -10), RTGS details (संलग्नक -11) एवं CAMPA Confirmation (संलग्नक -12) की छायाप्रति संलग्न है।
13.	प्रयोक्ता अभिकरण इस आशय का वचनबद्धता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करेंगे कि सक्षम स्तर से यदि एन.पी.वी. की दरों में बढ़ोतरी होती है तो बढ़ी हुई धन राशि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा जमा की जाएगी।	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा इस आशय का वचनबद्धता प्रमाण पत्र संलग्न है कि सक्षम स्तर से यदि एन.पी.वी. की दरों में बढ़ोतरी होती है तो बढ़ी हुई धन राशि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा जमा की जाएगी। (संलग्नक -13)
14.	राज्य सरकार द्वारा दी गई उक्त अनुमति का प्रबोधन संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय, वन एवं पर्यावरण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा किया जा सकेगा।	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा इस आशय का वचनबद्धता प्रमाण पत्र संलग्न है कि राज्य सरकार द्वारा दी गई उक्त अनुमति का प्रबोधन संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय, वन एवं पर्यावरण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा किया जा सकेगा। (संलग्नक -14)
15.	भारत सरकार के पत्रांक 7-23/2012/एफसी दिनांक 24.07.2013 से माननीय ग्रीन ट्रिब्यूनल द्वारा दिनांक 07.11.2012 को पारित निर्णय की पालना प्रकरण में सुनिश्चित की जावें	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा इस आशय का वचनबद्धता प्रमाण पत्र संलग्न है कि भारत सरकार के पत्रांक 7-23/2012/एफसी दिनांक 24.07.2013 से माननीय ग्रीन

क्र. सं.	स्थितिया	अनुपालन
	तथा प्रकरण में जारी स्वीकृति को यूजर एजेंसी द्वारा हिन्दी एवं अंग्रेजी में प्रकाशित होने वाले समाचार पत्रों में अक्षरशः प्रकाशित करावें एवं जारी स्वीकृतियों की प्रतियां लोकल बॉडीज, पंचायत एवं नगरपालिका के राजकीय अधिकारियों को स्वीकृति प्राप्ति के 30 दिन के अन्दर उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।	ट्रिब्यूनल द्वारा दिनांक 07.11.2012 को पारित निर्णय की पालना प्रकरण में सुनिश्चित की जाएगी। प्रकरण में जारी स्वीकृति को यूजर एजेंसी द्वारा हिन्दी एवं अंग्रेजी में प्रकाशित होने वाले समाचार पत्रों में अक्षरशः प्रकाशित कराया गया है {संलग्नक -15 (1), संलग्नक -15 (2) एवं संलग्नक -15 (3)} एवं जारी स्वीकृतियों की प्रतियां लोकल बॉडीज, पंचायत एवं नगरपालिका के राजकीय अधिकारियों को उपलब्ध कराया गया है। {संलग्नक -16 (1) एवं संलग्नक 16(2)}
16	स्टाम्प पेपर	शर्तों का अनुपालन 100 रुपये के स्टाम्प पेपर पर जमा किया गया है, जिसकी मूल प्रति संलग्नक-17 के रूप में संलग्न है।



**Project Director**

**PIU-Sohna**

**NHAI**

**Project Director  
NHAI, PIU - Sohna**



सत्यमेव जयते

# भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण

(सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार)

## National Highways Authority of India

(Ministry of Road Transport and Highways, Govt. of India)

परियोजना कार्यान्वयन इकाई, सोहना / Project Implementation Unit, Sohna

डीवीई किमी० 0+000 इण्टरचेंज पर, गुरुग्राम-सोहना रोड, गुरुग्राम, (हरियाणा) - 122102

Interchange at KM. 0+000 of DVE, Gurugram Sohna Road, Gurugram-122102

E-mail: piusohna@nhai.org | piusohna@gmail.com | Tel: 0124-2978623 | Web: www.nhai.gov.in



### संलग्नक-1

### वचनबद्धता प्रमाण-पत्र (Undertaking)

शर्त संख्या-1 - प्रमाणित किया जाता है कि प्रस्ताव संख्या – FP/RJ/ROAD/150326/2021 के संबंध में प्रयोक्ता अभिकरण वचनबद्ध है कि वन भूमि की वैधानिक स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होगा।

**Project Director**

**PIU-Sohna**

**NHAI**  
Project Director  
NHAI, PIU - Sohna



# भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण

(सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार)  
**National Highways Authority of India**

(Ministry of Road Transport and Highways, Govt. of India)

परियोजना कार्यान्वयन इकाई, सोहना / **Project Implementation Unit, Sohna**

डीवीई किमी 0+000 इण्टरचेंज पर, गुरुग्राम-सोहना रोड, गुरुग्राम, (हरियाणा) - 122102

Interchange at KM. 0+000 of DVE, Gurugram Sohna Road, Gurugram-122102

E-mail: piusohna@nhai.org | piusohna@gmail.com | Tel: 0124-2978623 | Web: www.nhai.gov.in



संलग्नक-2

## वचनबद्धता प्रमाण-पत्र (Undertaking)

शर्त संख्या-2 - प्रमाणित किया जाता है कि प्रस्ताव संख्या - FP/RJ/ROAD/150326/2021 के संबंध में प्रयोक्ता अभिकरण वचनबद्ध है कि प्रत्यावर्तित वन भूमि का उपयोग किसी अन्य प्रयोजन के लिये नहीं किया जावेगा।

**Project Director**

**PIU-Sohna**

**NHAI**  
Project Director  
NHAI, PIU - Sohna





# भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण

(सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार)  
**National Highways Authority of India**

(Ministry of Road Transport and Highways, Govt. of India)

परियोजना कार्यान्वयन इकाई, सोहना / **Project Implementation Unit, Sohna**

डीवीई किमी 0+000 इण्टरचेंज पर, गुरुग्राम-सोहना रोड, गुरुग्राम, (हरियाणा) - 122102

Interchange at KM. 0+000 of DVE, Gurugram Sohna Road, Gurugram-122102

E-mail: piusohna@nhai.org | piusohna@gmail.com | Tel: 0124-2978623 | Web: www.nhai.gov.in



## संलग्नक-3

### वचनबद्धता प्रमाण-पत्र (Undertaking)

शर्त संख्या-3 - प्रमाणित किया जाता है कि प्रस्ताव संख्या – FP/RJ/ROAD/150326/2021 के संबन्ध में प्रयोक्ता अभिकरण वचनबद्ध है की रात्रि केमपिंग नहीं की जायेगी।

**Project Director**

**PIU-Sohna**

**NHAI**

**Project Director  
NHAI, PIU - Sohna**



# भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण

(सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार)

## National Highways Authority of India

(Ministry of Road Transport and Highways, Govt. of India)

परियोजना कार्यान्वयन इकाई, सोहना / Project Implementation Unit, Sohna

डीवीई किमी० 0+000 इण्टरचेंज पर, गुरुग्राम-सोहना रोड, गुरुग्राम, (हरियाणा) - 122102

Interchange at KM. 0+000 of DVE, Gurugram Sohna Road, Gurugram-122102

E-mail: piusohna@nhai.org | piusohna@gmail.com | Tel: 0124-2978623 | Web: www.nhai.gov.in



### संलग्नक-4

### वचनबद्धता प्रमाण-पत्र (Undertaking)

शर्त संख्या-4 - प्रमाणित किया जाता है कि प्रस्ताव संख्या - FP/RJ/ROAD/150326/2021 के संबंध में प्रयोक्ता अभिकरण वचनबद्ध है कि निर्माण कार्य के दौरान स्थल पर कार्यरत मजदूरों/स्टाफ को रसोई गैस/केरासिन तेल आपूर्ति की जायेगी, ताकि निकटवर्ती वनों को क्षति न हो।

**Project Director**

**PIU-Sohna**

**NHAI**  
**Project Director**  
**NHAI, PIU - Sohna**



# भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण

(सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार)  
**National Highways Authority of India**

(Ministry of Road Transport and Highways, Govt. of India)

परियोजना कार्यान्वयन इकाई, सोहना / **Project Implementation Unit, Sohna**

डीवीई किमी० 0+000 इण्टरचेंज पर, गुरुग्राम-सोहना रोड, गुरुग्राम, (हरियाणा) - 122102

Interchangeat KM. 0+000 of DVE, Gurugram Sohna Road, Gurugram-122102

E-mail: piusohna@nhai.org | piusohna@gmail.com | Tel: 0124-2978623 | Web: www.nhai.gov.in



## संलग्नक-5

### वचनबद्धता प्रमाण-पत्र (Undertaking)

शर्त संख्या-5 - प्रमाणित किया जाता है कि प्रस्ताव संख्या – FP/RJ/ROAD/150326/2021 के संबध मे प्रयोक्ता अभिकरण वचनबद्ध है कि प्रस्तावित वनभूमि के अतिरिक्त आस-पास की वनभूमि से/पर निर्माण कार्य के दौरान मिट्टी/पत्थर काटने एवं भरने का कार्य नहीं किया जावेगा।

**Project Director**

**PIU-Sohna**

**NHAI**

**Project Director  
NHAI, PIU - Sohna**



# भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण

(सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार)

## National Highways Authority of India

(Ministry of Road Transport and Highways, Govt. of India)

परियोजना कार्यान्वयन इकाई, सोहना / Project Implementation Unit, Sohna

डीवीई किमी० 0+000 इण्टरचेंज पर, गुरुग्राम-सोहना रोड, गुरुग्राम, (हरियाणा) - 122102

Interchange at KM. 0+000 of DVE, Gurugram Sohna Road, Gurugram-122102

E-mail: piusohna@nhai.org | piusohna@gmail.com | Tel: 0124-2978623 | Web: www.nhai.gov.in



### संलग्नक-6

### वचनबद्धता प्रमाण-पत्र (Undertaking)

शर्त संख्या-6 - प्रमाणित किया जाता है कि प्रस्ताव संख्या - FP/RJ/ROAD/150326/2021 के संबन्ध में प्रयोक्ता अभिकरण वचनबद्ध है कि प्रयोक्ता अभिकरण वर्तमान एवं भविष्य में योजना पर लागू सभी नियम, कानून तथा दिशा निर्देशों का पालन करेगा।

**Project Director**  
**PIU-Sohna**

**NHAI**  
**Project Director**  
**NHAI, PIU - Sohna**



# भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण

(सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार)

## National Highways Authority of India

(Ministry of Road Transport and Highways, Govt. of India)

परियोजना कार्यान्वयन इकाई, सोहना / Project Implementation Unit, Sohna

डीवीई किमी 0+000 इण्टरचेंज पर, गुरूग्राम-सोहना रोड, गुरूग्राम, (हरियाणा) - 122102

Interchange at KM. 0+000 of DVE, Gurugram Sohna Road, Gurugram-122102

E-mail: piusohna@nhai.org | piusohna@gmail.com | Tel: 0124-2978623 | Web: www.nhai.gov.in



### संलग्नक-7

### वचनबद्धता प्रमाण-पत्र (Undertaking)

शर्त संख्या-7 - प्रमाणित किया जाता है कि प्रस्ताव संख्या – FP/RJ/ROAD/150326/2021 के संबंध में प्रयोक्ता अभिकरण वचनबद्ध है कि प्रत्यावर्तित क्षेत्र के आस-पास में वनस्पति / वन्यजीव (Flora/Fauna) की क्षति न होने की यूजर एजेन्सी की जिम्मेदारी रहेगी एवं इनको संरक्षित रखने की जिम्मेदारी भी यूजर एजेन्सी की होगी।

Project Director

PIU-Sohna

NHAI  
Project Director  
NHAI, PIU - Sohna

## FRA Certificate from District Collector, Alwar

Annexure-1

FORM-1

### OFFICE OF THE DISTRICT COLLECTOR ALWAR, RAJASTHAN

(for linear projects)

No. F 12-1/(04)VIVID/FRA/REV/2022/ 58

Date. 03/01/2023

#### TO WHOMSOEVER IT MAY CONCERN

In Compliance of the Ministry of Environment and Forests (MoEF), Government of India's letter No.11-9/98/FC(pt.) dated 3<sup>rd</sup> August 2009 wherein the MoEF issued guidelines on submission of evidences for having initiated and completed the process of settlement of rights under the Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006 ('FRA', for short) on the forest land proposed to be diverted for non-forest purpose read with MoEF's letter dated 5<sup>th</sup> February 2013 wherein MoEF issued certain relaxation in respect of linear projects.

Sub Division officer, Kishangarhbas given by letter no.Revenue/2022/ 7426 dated 10.10.2022 by Arazi Khasra No. 01 of village Siwana occupies 0.22 hectare out of 23.09 hectare and Arazi Khasra No. 02 occupies 0.43 hectare out of 9.96 hectare, total area 0.65 hectare Tehsil Kishangarhbas and Sub Division officer, Ramgarh given by letter no. Revenue/2022/ 649 dated 12.10.2022 by 0.11 hectare out of 0.72 hectare area of Arazi Khasra No. 333 of village Bagadmeo, Tehsil Ramgarh Total area 0.76 Hectares. FRA certificate is being measured to use Forest land.

It is certified that 0.65 Hectares village Siwana Tehsil Kishangarhbas and 0.11 Hectares village Bagadmeo Tehsil Ramgarh Total area 0.76 Hectares Forest Blocks in Alwar district is proposed to be diverted in favor of the National Highway Authority of India for Development of economic corridors, inter corridors and feeder routes to improve the efficiency of freight movement in project Paniyala-Alwar-Barodamev under BHARATMALA PARIYOJANA ( lot-6-package-4) (Proposal Number FPRJ/ROAD/150326/2021) in the state of Rajasthan.

#### It is certified that:-

- a) The complete process for identification and settlement of rights under the FRA has been carried out for the entire Arazi Khasra No. 01 of village Siwana occupies 0.22 hectare out of 23.09 hectare and Arazi Khasra No. 02 occupies 0.43 hectare out of 9.96 hectare, total area 0.65 hectare Tehsil Kishangarhbas and 0.11 hectare out of 0.72 hectare area of Arazi Khasra No. 333 of village Bagadmeo, Tehsil Ramgarh Total area 0.76 Hectares of forest area proposed for diversion. A copy of records of all consultation and meetings of the Forest Right Committee(s) Gram Sabha(S), Sub-Division Level Committee(s) and District Level Committee are enclosed as Annexure - I to Annexure - III.
- b) The diversion of forest land for facilities managed by the Government as required under section 3(2) of the FRA have been completed and the Gram Sabhas have given their consent to it.
- c) The proposal does not involve recognized right of Primitive Tribal Groups and Pre-agricultural communities.

Encl: As Above

o/c (Dr. Jitendra Kumar Soni)  
District Collector, Alwar  
Date. 03/01/2023

No. F 12-1/(04)VIVID/FRA/REV/2022/ 55  
copy to:- For information and necessary action as per the rules.

1. Tehsildar Kishangarhbas/Ramgarh
2. Project Director National Highway Authority of India, PIU-Sohna, Plot no- 106,p-Block,uppal southend, Sector-48,Gurugram- 122018(Haryana).

o/c Addl. District Collector-I, Alwar

Project Director  
NHAI, PIU - Sohna

## कार्यालय उपखण्ड अधिकारी किशनगढबास (अलवर)

क्रमांक/शजरव/22/7426

दिनांक:- 16/10/2022

श्रीमान जिला कलक्टर महोदय,  
अलवर।

विषय :- भारतमाला परियोजना (लॉट-6/पैकेज-4) पनियाला-अलवर-बडोयामेय के तहत भारत में माल दुलाई की दक्षता में सुधार के लिए आर्थिक गलियारों, इंटर कॉरिडोर और फीडरमार्गों का विकास के संबंध में 0.78 हे० वन भूमि का डायवर्जन बावत्।

संदर्भ :- परियोजना निदेशक, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, पीआईयू, सोहना के पत्रांक NHAI/PIU-Soh/PAB/12004/Forest/AWR/2022/D-4666 दिनांक 21.06.2022 एवं श्रीमान जिला कलक्टर महोदय, अलवर के पत्रांक 4262 दिनांक 08.07.2022

महोदय,

उपरोक्त संदर्भित विषयान्तर्गत निवेदन है कि परियोजना निदेशक, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, पीआईयू, सोहना द्वारा भारतमाला परियोजना (लॉट-6/पैकेज-4) पनियाला-अलवर-बडोयामेय के तहत भारत में माल दुलाई की दक्षता में सुधार के लिए आर्थिक गलियारों, इंटर कॉरिडोर और फीडरमार्गों का विकास के संबंध में संलग्न जमाबन्दी एवं नक्शे अनुसार ग्राम सियाना ग्राम पंचायत वल्लभग्राम तहसील किशनगढबास के आ०ख०न० 01 रकबा 23.09 हे० में से 0.22 हे० व आ०ख०न० 02 रकबा 9.96 हे० में से 0.43 हे० किरम गैर मुमकीन पश्हाड का डायवर्जन किये जाने हेतु प्रस्ताव प्रेषित कर वन भूमि का प्रत्यावर्तन किये जाने हेतु निर्देशित किया गया है। अतः पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार की वेबसाइट पर प्रस्ताव संख्या PROPOSAL NO-FP/ROAD/150326/2021 द्वारा आवेदन किया गया है। जिसके लिए अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (FRA Certificate) जारी किया जाना अपेक्षित है।

अतः उक्त प्रकरण के संबंध में दिनांक 15.08.2022 को ब्लॉक स्तरीय गठित कमेटी की बैठक आयोजित की गई। बैठक में वन अधिकार अधिनियम 2006 के अध्याय 1 एवं 2 में विहित प्रावधानों के तहत नियमानुसार ग्राम पंचायत स्तरीय गठित कमेटी के प्रस्ताव की अनुसंधा समस्त कमेटी के सदस्यों द्वारा की गई। एवं नियमानुसार प्रक्रिया संपादित कर पत्रावली के संबंध में FRA Certificate जारी किया जाना उचित है। उक्त के संबंध में उचित आवश्यक एवं नियमानुसार अग्रिम कार्यवाही हेतु श्रीमान की सेवा में सादर प्रेषित है।

संलग्न :- उपरोक्तानुसार

  
(गंगाधर शोना)  
उपखण्ड अधिकारी  
किशनगढबास(अलवर)

Project Director  
NHAI, PIU - Sohna

## उपखण्ड स्तरीय समिति की कार्यवाही

(नियम 6 एवं 14 देखें)

अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 की धारा 6 (3) के प्रावधानान्तर्गत गठित एवं प्रदत्त अधिकारों/कर्तव्यों के निर्वहन में नियम 2006 के नियम 6 एवं 14 विनिर्दिष्ट प्रक्रियान्तर्गत उपखण्ड स्तर की समिति की बैठक दिनांक 29/08/22 को आयोजित की गई। बैठक में ग्रामसभा द्वारा वन भूमि पर वन अधिकार के अधिभोग के संबंध में पारित संकल्प पर विचार किया गया और पाया कि दावेदार ब्रह्म पंचायत बल्लभग्राम ग्राम सिवाना तहसील किशनगढ़बास जिला अलवर।

ग्राम का नाम	खसरा नम्बर	खसरा नं. का कुल क्षेत्रफल	अधिभाग की वन भूमि का क्षेत्रफल	अधिभोग का प्रकार
1	2	3	4	5
सिवाना	01	23.09 हे.	कुल 33.05 हे.	चारलमाला
सिवाना	02	09.96 हे.	में से 0.43 हे.	परिभोजना

अतः समिति सर्वसम्मति से उपरोक्त वन भूमि पर उपरोक्त वर्णित दावेदार समुदाय को वन अधिकार दिये जाने की अनुशंसा करती है।

उपखण्ड अधिकारी  
उपखण्ड अधिकारी  
किशनगढ़बास जिला अलवर

मनोनीत सदस्य

*[Signature]*  
M.P.S.  
वस No. 08

वन विभाग का भार साधक अधिकारी  
*[Signature]*  
किशनगढ़बास जिला अलवर

मनोनीत सदस्य

*[Signature]*  
0.11

विकास अधिकारी  
विकास अधिकारी  
किशनगढ़बास जिला अलवर

*[Signature]*

Project Director  
NHAI, PIU - Sohna



वन अधिकार समिति की अभिस्वीकृति

(नियम 11 (3) देखें)

दिनांक 26/08/2022


ग्राम सिवाना पंचायत वल्लभनगर

तहसील किशनगढ़वास जिला अलवर में वन अधिकार समिति द्वारा दिनांक 26/08/2022 को दावेदार ग्राम सिवाना के दावे से संबंधित स्थल (वन क्षेत्र) का निरीक्षण किया गया उसका राजस्व अभिलेखों के अनुसार विवरण निम्नानुसार है।

ग्राम का नाम	खसरा नम्बर	खसरा न. का कुल क्षेत्रफल	अधिभाग की वन भूमि का क्षेत्रफल	अधिभाग का प्रकार
1	2	3	4	5
<u>सिवाना</u>	<u>01</u>	<u>23-09 हे०</u>	<u>कुल 33-05 हे०</u>	<u>भारतमासा</u>
<u>सिवाना</u>	<u>02</u>	<u>09-96 हे०</u>	<u>में से 0-43 हे०</u>	<u>परिभोजन</u>

जिस पर वन अधिकार दिये जाने हेतु वन अधिकार समिति की अभिस्वीकृति जारी की जाती है।

  
हस्ताक्षर अधिकारी  
ग्राम विकास अधिकारी  
ग्राम पंचायत वल्लभनगर  
पं.स. किशनगढ़-वास (अलवर)

  
हस्ताक्षर अध्यक्ष  
वन अधिकारी  
किशनगढ़ (अलवर)

  
Project Director  
NHAI, PIU - Sohna



पंचक नगरपालिका क्षेत्र  
ग्राम - विपदा  
तहसील - विद्यानगर  
जिल्ला - धनुषा



नगरपालिका क्षेत्र वि.पु.स.  
बन्धी  
[Signature]  
[Date]  
[Official Stamp]

Scanned with CamScanner




Project Director  
NHA, PIU - Sohna

नक्शा ट्रेस

(नक्शा ट्रेस इस पेज पर चिपकार)

आंशिक नक्शा ट्रेस ग्राम

जिसमें दावेदार समुदाय बंजाम पंचायत लल्लभद्राम ग्राम सिवाना  
द्वारा अधिभोग में ली गई वन भूमि को लाल रंगाई से दर्शाया गया है।

  
17/01/2022  
हस्ताक्षर  
ग्राम सिवाना  
तहसील सिवाना  
जिला अलवर।



Project Director  
NHAI, PIU - Sohna

**उपखण्ड स्तरीय वन अधिकारी समिति किशनगढ़बास की दिनांक 29/08/2022 को आयोजित की बैठक कार्यवाही विवरण- कार्यालय उपखण्ड अधिकारी किशनगढ़बास, अलवर।**

आज दिनांक 29/08/2022 को पूर्व निर्धारित कार्यक्रम अनुसार वन संरक्षण अधिनियम 1980 के अनु 12 अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारी की मान्यता) अधिनियम 2006 की धारा 3(1) व 3(2) एवं नियम 2008 तथा संशोधित नियम 2012 के प्रावधानों के अनुसार उपखण्ड स्तरीय वन अधिकारी समिति किशनगढ़बास की बैठक उपखण्ड अधिकारी किशनगढ़बास की अध्यक्षता में आयोजित हुई। बैठक में उपखण्ड स्तरीय वन अधिकारी समिति किशनगढ़बास के निम्न सदस्य, अधिकारी एवं माननीय जनप्रतिनिधि गण उपस्थित हुए।

क्र. सं०	नाम अधिकारी / जनप्रतिनिधि / सदस्य	पदनाम
1	श्री बी.पी. सुमन	प्रधान महादय, पं० रा० किशनगढ़बास।
2	श्री गंगाधर गीना	उपखण्ड अधिकारी किशनगढ़बास
3	श्री मदन सिंह	तहसीलदार किशनगढ़बास
4	श्री हितेश कुमार गुप्ता	सहायक अभियन्ता सा०नि०डि० किशनगढ़बास
5	श्री ललित कुमार	क्षेत्रीय वनाधिकारी, किशनगढ़बास
6	श्रीमति अमरफो	सरपंच ग्राम पंचायत बल्लभग्राम
7	श्री कृष्णकान्त	ग्राम विकास अधिकारी, बल्लभग्राम

उपरिस्थिति विवरण पत्रक संलग्न है।

बैठक में निम्न बिन्दुओं पर विचार विमर्श किया जाकर निम्न निर्णय लिये गये:-

- परियोजना निदेशक, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, पीआईयू, सोहना द्वारा भारतभारत परियोजना (लॉट-8/पैकेज-4) पनियाला-अलवर-बडौदामेक के तहत भारत में माल ढुलाई की दक्षता में सुधार के लिए आर्थिक गलियारों, इंटर कोंस्ट्रिक्टर और फीडरमार्गों का विकास के संकंध में संलग्न जमाबन्दी एवं नक्शों अनुसार ग्राम सियान्त ग्राम पंचायत बल्लभग्राम तहसील किशनगढ़बास के आ०ख०न० 01 रकबा 23.08 हे० में से 0.22 हे० व आ०ख०न० 02 रकबा 9.96 हे० में से 0.43 हे० किस्म नंबर मुमकीन पहाड़ का डायवर्जन किये जाने हेतु प्रस्ताव प्रेषित कर वन भूमि का प्रत्यावर्तन किये जाने हेतु निर्देशित किया गया है। पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार की वेबसाइट पर प्रस्ताव संख्या PROPOSAL NO-FP/ROAD/150326/2021 द्वारा आवेदन किया गया है। जिसके लिए अनुसूचित जनजाति





Project Director  
NHAI, PIU - Sohna


और अन्य परम्परागत वन निवासी (FRA Certificate) जारी किया जाना अपेक्षित है। जिस पर बैठक में भारतमाला परियोजना (लॉट-6/पैकेज-4) पनियाला-अलवर-दड़ौदामेव के तहत भारत में माल दुलाई की दक्षता में सुधार के लिए आर्थिक गलियारों, इंटर कॉरिडोर और फीडरमार्गों का विकास के संबंध में संलग्न जमाबन्दी एवं नक्शों अनुसार ग्राम सिवाना ग्राम पंचायत बल्लभग्राम तहसील किशनगढ़बास के आ0ख0न0 01 रकबा 23.09 है0 में से 0.22 है0 व आ0ख0न0 02 रकबा 9.96 है0 में से 0.43 है0 किस्म गैर मुमकीन पहाड का डायवर्जन किये जाने हेतु परियोजना में आ रही वन भूमि के प्रत्यावर्तन की सहमति/एनओसी जारी करने बाबत विचार विमर्श किया गया।

- ग्राम सिवाना में वन क्षेत्र की आ रही उक्त खसरा नम्बरों की 0.43 है0 वन भूमि से संबंधित वन संरक्षण अधिनियम 1980 के अनु0 2 अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारी की मान्यता) अधिनियम 2006 की धारा 3(1) व 3(2) एवं नियम 2008 तथा संशोधित नियम 2012 के प्रावधानों के अन्तर्गत प्रक्रियाधीन दावा एवं आपत्तियों के संबंध में बैठक में उपस्थित सदस्य विकास अधिकारी पंचायत समिति किशनगढ़बास द्वारा अवगत कराया है कि उक्त वन भूमि का कोई भी दावा आपत्ति एवं आवेदन पत्र उनके कार्यालय स्तर पर प्रक्रियाधीन/लम्बित नहीं है।
- ग्राम स्तरीय वन अधिकारी समिति ग्राम पंचायत बल्लभग्राम को दिनांक 15.08.2022 को आयोजित ग्राम सभा की बैठक के प्रस्ताव संख्या क्रमशः 01, एवं 02, के अनुसार ग्राम स्तरीय वन अधिकारी समिति स्तर पर भी उक्त सड़क निर्माण में आ रही वन भूमि से संबंधित कोई दावा आपत्ति एवं आवेदन पत्र प्रक्रियाधीन व लम्बित नहीं होने से प्रत्यावर्तन की सहमति/एनओसी जारी करने की की गई अभिशंघा पर बैठक में विचार विमर्श किया गया।
- उपखण्ड स्तरीय वन अधिकारी समिति किशनगढ़बास के स्तर पर भी उक्त वन भूमि से संबंधित कोई भी दावा/आपत्ति/आवेदन पत्र प्रक्रियाधीन एवं लम्बित नहीं है।
- इस प्रकार ग्राम सिवाना ग्राम पंचायत बल्लभग्राम तहसील किशनगढ़बास सड़क निर्माण में वन क्षेत्र में आ रही उक्त खसरा नम्बरों की वन भूमि से संबंधित कोई दावा/आपत्ति एवं आवेदन पत्र लम्बित नहीं होने के आधार पर वन संरक्षण अधिनियम 1980 के अनु0 2 अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारी की मान्यता) अधिनियम 2006 की धारा 3(1) व 3(2) एवं नियम 2008 तथा संशोधित नियम 2012 के प्रावधानों के अन्तर्गत किशनगढ़बास उपखण्ड स्तरीय वन अधिकारी समिति द्वारा उक्त सड़क निर्माण कार्य लोकाहित में सार्वजनिक प्रयोजन की दृष्टि से होने के कारण वन भूमि के प्रत्यावर्तन की सहमति/एनओसी जारी करने हेतु उपस्थित सभी सदस्यों द्वारा सहमति प्रकट कर जिला स्तरीय वन अधिकारी समिति को अनुमोदन हेतु भिजवाये जाने का निर्णय लिया गया है। बैठक सधन्यवाद समाप्त की गई।


  
पंचायत प्रतिनिधि  
ग्राम पंचायत बल्लभग्राम  
किशनगढ़बास

  
तहसीलदार  
किशनगढ़बास

  
सहायक अभियन्ता  
सार्वजनिक निर्माण विभाग

  
ग्राम विकास अधिकारी  
ग्राम पंचायत बल्लभग्राम  
किशनगढ़बास (अलवर)

  
उपखण्ड स्तरीय वन अधिकारी  
किशनगढ़बास (अलवर)

  
क्षेत्रीय वन अधिकारी  
किशनगढ़बास

  
Project Director  
NHAI, PIU - Sohna

क्रमांक :- 6767-6775

दिनांक:- 29/08/22

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एव आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. श्रीमान जिला कलक्टर महोदय, अलवर।
2. श्रीमान उप वन संपन्नक महोदय, अलवर।
3. श्रीमान मुख्य कार्यकारी अधिकारी महोदय, जिला परिषद अलवर।
4. अधिसापी अभियन्ता सा0नि0वि0 एनसीआरपीवी खण्ड अलवर।
5. विकास अधिकारी पंचायत समिति किशनगढबास, अलवर।
6. तहसीलदार किशनगढबास, अलवर।
7. उपखण्ड स्तरीय वन अधिकारी समिति किशनगढबास के माननीय सदस्य।
8. सचिव, ग्राम स्तरीय वन अधिकार समिति ग्राम पंचायत वल्लभग्राम।
9. रक्षित पत्रावली।

  
(गंगाधर मीना)  
उपखण्ड अधिकारी  
किशनगढबास(अलवर)

  
Project Director  
NHAI, PIU - Sohna



# कार्यालय - ग्राम पंचायत, वल्लभग्राम

पंचायत समिति किशनगढ़ बास (अलवर) राजस्थान

प्रेषक:-  
सरपंच / ग्राम विकास अधिकारी  
ग्राम पंचायत वल्लभग्राम  
पं.स. किशनगढ़-बास (अलवर:राज0)

प्रेषक:-  
श्रीयुत्

क्रमांक 19/22-09-2022

दिनांक 22-9-2022

## अनापत्ति प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि भारतमाला परियोजना (नॉट-6/पैकेज-4) पनियाला-अलवर-वडीकामेन के तहत ग्राम सिवाना तहसील किशनगढ़बास के आंक.नं. 01 रकबा 23.09 है, में से 0.22 है. व आंक.नं. 02 रकबा 9.96 है, में से 0.43 है. किन्तु गैर मुसूकन पन्ड का डाम्पवर्जन क्रिये जाने हेतु प्रस्ताव प्रेषित कर वन भूमि का प्रत्यावर्तन क्रिये जाने हेतु पत्र प्रेषित किया गया है ग्राम पंचायत वल्लभग्राम, किशनगढ़बास, अलवर वन भूमि का एक आर ल प्रमाणपत्र जारी किया जाता है. इसमें ग्राम पंचायत वल्लभग्राम की कोई आपत्ति नहीं है.

असरफ़ी  
सरपंच  
ग्राम पंचायत, वल्लभग्राम  
पं० स० किशनगढ़-बास (अलवर)

Ksingh  
ग्राम विकास अधिकारी  
ग्राम पंचायत वल्लभग्राम  
पं.स. किशनगढ़ बास, राजस्थान

Project Director  
NHAI, PIU - Sohna

आज दिनांक 15/04/2022 को अगुआ संसाधन वित्तियोग के  
 कालभल दिवस के अवसर में अगुआ संसाधन का आभोग्य दिना  
 जमा जिस्की अगुआ संसाधन परंपरा साधारण ने की जाक  
 कोरम शील कार्यावाही व उपस्थिति निम्न प्रकार रही

क्र.सं.	नाम	पद	हस्ताक्षर
1.	डा.सं.सं.	अध्यक्ष	डा.सं.सं.
2.	दीपक जेनीवाल	उप-अध्यक्ष	दीपक
3.	मनीषा	सा.सं.	मनीषा
4.	अनुभाष नांड	सा.सं.	अनुभाष
5.	हो.द.लाल	सा.सं.	हो.द.लाल
6.	अनवर	सा.सं.	अनवर
7.	राजें-दर सिंह	सा.सं.	राजें-दर
8.	नौकर-मंड माहूव	सा.सं.	मो.अनवर

  
 Project Director  
 NHAI, PIU - Sohna



प्रस्ताव-1. स्वतंत्रता संग्राम के दौरान (1947-1952) के दौरान गुजरात  
राज्य में राजस्व की वसूली के लिए प्रस्तावित किया गया।

प्रस्ताव-2. स्वतंत्रता संग्राम के दौरान के दौरान गुजरात राज्य में  
राजस्व की वसूली के लिए प्रस्तावित किया गया।  
के लिए भारत में राजस्व की वसूली के लिए प्रस्तावित किया गया।  
आ.ख.नं.-01 एकका 23.69 है। मे से 0.92 है।  
आ.ख.नं.-02 एकका 9.96 है। मे से 0.43 है।  
गैर मुद्रा पहाड़ का आयतन किये जाने के कारण  
सदन के समक्ष रखा गया जिसे पर सदन ने विचार  
विमर्श करते हुए सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित किया गया।

Scanned with CamScanner

  
Project Director  
NHAI, PIU - Sohna

A scanned document on lined paper featuring numerous ink smudges and handwritten text in Hindi. The text is partially obscured by dark ink marks.

Visible handwritten text includes:

- राजेश्वर
- सविता
- जयराज
- जयराज
- राजेश्वर
- जयराज
- पुष्पा
- जयराज
- जयराज
- मामा
- दशरथ
- राजेश्वर
- शशि
- शशि
- जीवनराम
- जयराज
- राजेश्वर
- जयराज

Scanned with CamScanner

  
Project Director  
NHAI, PIU - Sohna

दिखा देवी

सुनीता

सुनीता

सुनीता

सुनीता

सुनीता

सुनीता

सुनीता

सुनीता

सुनीता

सुनीता

सुनीता

प्रदीप  
सुनीता

सुनीता

सुनीता

सुनीता

सुनीता

सुनीता

सुनीता

सुनीता

Project Director  
NHAI, PIU - Sohna

Scan.

लनि हा

युमरती



गिता

शेजु



वनीना

सुधमा



नीजु

वाजवला

राजवला

किरुण

शजवती

वीना

वहीरा

राजवला


वहीरली



पूनम

Scanned with CamScanner

Project Director  
NHAI, PIU - Sohna



रजनी

सविता

भुवनेश

मंगलेश

पिंकी

पुष्पलता

जिला

पुष्पलता

पुष्पलता

मंगलेश

विन्देश

विन्देश

जयशंकर

रजनी

विन्देश

विन्देश

Scanned with CamScanner

Project Director  
NHAI, PIU - Sohna

नामनिर्धारण

शिक्षा

कविता

मजीदग

कमलेश

सरोज

रुजगी

कमलेश

मंजू

ज्योति

संगीता

सुमोदी

ज्योति

व्यक्तिगत

रत्नाराम

कविता

कुषमा

डाशा

सुमोदी

गंगा

जानिता

रत्नाराम

सुमोदी

सुमोदी

Scanned with CamScanner

Project Director  
NHAI, PIU - Sohna

# कार्यालय ग्राम पंचायत बगड़ मेव

पंचायत समिति रामगढ़, जिला अलवर (राज०)

प्रेषक:-

सरपंच/ग्राम विकास अधिकारी

ग्राम पंचायत बगड़ मेव

पं. समिति रामगढ़, जिला अलवर (राज०)

राज. सरकार



सत्यमेव जयते

प्रेषित:-

क्रमांक: 107

दिनांक 23/09/2021

## अनापत्ति प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि भारत माला परियोजना के अन्तर्गत पन्चाला- अलवर - बड़ोदामेव सेक्शन पर खसरा नं. 332 रकबा 0.72 हे. मे 0.11 हे. क्लिम्प जैर भूमिगत पहल का आयवर्जन किया जाना प्रस्तावित है। ग्राम पंचायत की पालिक मीटिंग दिनांक 23/09/2021 उम्बरा सं. 05 से अनापत्ति दी गई तथा ग्राम पंचायत बगड़मेव के खसरा नं. 333 के 0.11 हे. आयवर्जन पर ग्राम पंचायत को कोई आपत्ति नहीं है।

ग्राम विकास अधिकारी  
ग्राम पंचायत बगड़मेव  
पं० स० रामगढ़ (अलवर)

सरपंच  
ग्राम पंचायत बगड़मेव  
पं० स० रामगढ़ (अलवर)


आपत्ति  
रुद्ध  
सखीला  
रेशम


उपखण्ड स्तरीय समिति की कार्यवाही  
(नियम 6 एवं 14 देखें)

अनुरूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 की धारा 6(3) के प्रावधानान्तर्गत गठित एवं प्रदत्त अधिकारों/कर्तव्यों के निर्वहन में नियम 2008 के नियम 6 एवं 14 विनिर्दिष्ट प्रक्रियान्तर्गत उपखण्ड स्तर की समिति की बैठक दिनांक 30.09.2022 को आयोजित की गई बैठक में ग्राम सभा द्वारा वन भूमि पर वन अधिकार के अधिभोग के संबंध में पारित संकल्प पर विचार किया गया और पाया कि दावेदार ग्राम पंचायत बगडमेव ग्राम बगडमेव तहसील रामगढ़ जिला अलवर


ग्राम का नाम	खसरा नम्बर	खसरा नं० का कुल क्षेत्रफल	अधिभोग की वन भूमि का क्षेत्रफल	अधिभोग का प्रकार
1	2	3	4	5
बगडमेव	333	0.72 हेक्टर	0.11 हे०	
योग				


अतः सर्वसम्मति से उपरोक्त वन भूमि पर उपरोक्त वर्णित दावेदार समुदाय को वन अधिकार को वन अधिकार दिये जाने की अनुशंसा करती है।


  
उपखण्ड अधिकारी

  
क्षेत्रीय वन अधिकारी  
वन विभाग का भार साधक अधिकारी  
अलवर

  
विकास अधिकारी

  
मनोनीत वन अधिकारी  
ग्राम विकास अधिकारी  
ग्राम पंचायत बगडमेव  
पं० स० रामगढ़ (अलवर)

  
मनोनीत सदस्य  
सरपंच  
ग्राम पंचायत बगडमेव  
पं० स० रामगढ़ (अलवर)

  
मनोनीत सदस्य  
प्रधान  
पं० स० रामगढ़ (अलवर)



वन अधिकारसमिति की अभिस्वीकृति  
(नियम 11(3) देखें)

ग्राम बगडमेव पंचायत बगडमेव  
तहसील रामगढ़ जिला अलवर में वन अधिकार समिति द्वारा दिनांक  
30.09.2022 को दावेदार ग्राम बगडमेव के दावे से संबंधित स्थल वन क्षेत्र  
का निरीक्षण किया गया उसका राजस्व अभिलेखों के अनुसार विवरण निम्नानुसार है

ग्राम का नाम	खसरा नम्बर	खसरा नं० का कुल क्षेत्रफल	अधिभोग की वन भूमि का क्षेत्रफल	अधिभोग का प्रकार
1	2	3	4	5
बगडमेव	333	0.72 हैक्टर	0.11 है०	
योग				


जिस पर वन अधिकार दिये जाने हेतु वन अधिकार समिति की अभिस्वीकृति जारी की जाती है।

हस्ताक्षर मान  
ग्राम विकास अधिकारी  
ग्राम पंचायत बगडमेव  
पं० सं० रामगढ़ (अलवर)

हस्ताक्षर सरपंच  
सुरपंच  
सरपंच  
ग्राम पंचायत बगडमेव  
पं० सं० रामगढ़ (अलवर)

Project Director  
NHAI, PIU - Sohna


Copy of demand letter generated by Deputy Conservator of Forest,  
Alwar



राजस्थान सरकार  
वन विभाग

**कार्यालय उप वन संरक्षक, अलवर**

ज्योतिरामपुरे रोड, नगाबाग, अलवर (राज.) - 301001



आज़ादी का  
अमृत महोत्सव

क्रमांक : एफ 18 ( ) एफसीए/उपस-अल/2023/१०१४ दिनांक : १.6.2023

नितिस्त-  
Project Manager,  
National Highway Authority of India, PIU, Sohna  
Plot No. 106, P-Block, Uppal Southend,  
Sector 48, Near Metro Station Sector 10,  
Dwarka District Gurgaon (Haryana).

विषय:-  
Development of Economic Corridors, Inter Corridors and Feeder Routes to Improve the efficiency of freight movement in India under Bharatmala Pariyojana (Lot-6/Package-4) - Paniyala-Alwar-Barodameo. Proposal No.: FP/RJ/ROAD/150326/2021 के संबंध में।

उपरोक्त विषयान्तर्गत श्रीमान् विशेषाधिकारी, राजस्थान सरकार वन विभाग की Development of Economic Corridors, Inter Corridors and Feeder Routes to improve the efficiency of freight movement in India under Bharatmala Pariyojana (Lot-6/Package-4) - Paniyala-Alwar-Barodameo. Proposal No.: FP/RJ/ROAD/150326/2021 के संबंध में सैद्धान्तिक स्वीकृति पत्र क्रमांक ए.1(28) वन/2023 जयपुर, दिनांक 19.05.2023 से प्राप्त हुई है। अतः उक्त सैद्धान्तिक स्वीकृति में अंकित शर्तों की पालना हेतु आप पूजर एजेन्सी द्वारा राशि जमा करवाई जानी है, विवरण निम्नानुसार है:-

क्र.सं.	शर्त सं.	शर्त का विवरण	जमा करवाई जाने वाली राशि का विवरण
01	10	प्रयोक्ता अभिकरण के व्यय पर वन विभाग द्वारा 100 रुक्षों का वृक्षारोपण एवं 10 वर्षों तक रखरखाव किया जायेगा। इस हेतु प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा वर्तमान दरों का समाहित करते हुए राशि जमा की जायेगी।	शर्त अनुसार 180 रुक्षों का वृक्षारोपण एवं 10 वर्षों तक रखरखाव हेतु कुल राशि 3,59,000/-
02	11	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा माननीय उच्चतम न्यायालय के रिट पिटीशन (सिविल) 202/1995 के अंतर्गत आई.ए. संख्या 566 एवं भारत सरकार के पत्र संख्या 5-3/2007-एफ.सी. दिनांक 05.02.2009 के तहत में दिए गए आदेशानुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन.पी.वी.) की निर्धारित राशि जमा की जायेगी।	शर्त अनुसार ECO Class III हेतु शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन.पी.वी.) की दर 9,57,780/- प्रति हेक्टेयर x प्रस्तावित प्रत्यावर्तित मूमि 0.76 हेक्टेयर। 957780 X 0.76 = 727913/-
योग कुल राशि			1086913/-

उपरोक्त अनुदेशों के अनुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य तथा दूसरी सभी विधियां प्रतिपूर्ति पौधारोपण निधि प्रबंधन तथा योजना प्राधिकरण के तदर्थ निकाय के वेबपोर्टल OSMFWP द्वारा सृजित ई-चालान द्वारा जमा करायी जायेगी। जिसके उपरान्त ई-चालान की छायाप्रति, जमा की गई धनराशि का बैंक बालान/पूटीआर संख्या/एनईएफटी/नम्बर की छायाप्रति सहित सैद्धान्तिक स्वीकृति की अनुपालना आख्या (जिसमें जमा की गई राशि का मददार विवरण हो) प्रेषित की जाए।

Validity unknown  
Digitally signed by Apoorva Krishna  
Srivastava (Deputy Conservator Of  
Forest)  
Date: 2023.06.01 11:39:42 IST  
Reason: Approved

RajKoj Ref No. : 4000166


Project Director  
NHAI, PIU - Sohna



Copy of e-challan generated on PARIVESH e-portal

14/06/2023, 10:35

NEFT RTGS CHALLAN

**AGENCY COPY**


  
 यूनियन बैंक ऑफ इंडिया Union Bank of India

**NEFT / RTGS CHALLAN for CAMPA Funds**

Date : 14-06-2023

Agency Name.	NATIONAL HIGHWAY AUTHORITY OF INDIA PIU SOHNA
Application No.	01150326191
MoEF/SG File No.	1(28)FOREST/2023
Location.	RAJASTHAN
Address.	G-3 & 6, SECTOR 10 ,DWARKA, NEW DELHI South West
Amount(In Rs)	1089513/-


Amount in Words : Ten Lakh Eighty-Six Thousand Nine Hundred and Thirteen Rupees Only



**NEFT/RTGS to be made as per following details;**

Beneficiary Name:	RAJASTHAN CAMPA
IFSC Code:	UBIN0906335
Pay to Account No.	1588301150326191 <i>Valid only for this challan amount.</i>
Bank Name & Address:	Union Bank Of India FCB Centre, 21/1, III Floor, Jeevita Towers, Mission Road, Bengaluru-560027

• This Challan is strictly to be used for making payment to CAMPA by NEFT/RTGS only

**BANK COPY**


  
 यूनियन बैंक ऑफ इंडिया Union Bank of India

**NEFT / RTGS CHALLAN for CAMPA Funds**

Date : 14-06-2023

Agency Name.	NATIONAL HIGHWAY AUTHORITY OF INDIA PIU SOHNA
Application No.	01150326191
MoEF/SG File No.	1(28)FOREST/2023
Location.	RAJASTHAN
Address.	G-3 & 6, SECTOR 10 ,DWARKA, NEW DELHI South West
Amount(In Rs)	1089513/-

Amount in Words : Ten Lakh Eighty-Six Thousand Nine Hundred and Thirteen Rupees Only

**NEFT/RTGS to be made as per following details;**

Beneficiary Name:	RAJASTHAN CAMPA
IFSC Code:	UBIN0906335
Pay to Account No.	1588301150326191 <i>Valid only for this challan amount.</i>
Bank Name & Address:	Union Bank Of India FCB Centre, 21/1, III Floor, Jeevita Towers, Mission Road, Bengaluru-560027

• This Challan is strictly to be used for making payment to CAMPA by NEFT/RTGS only

**Note:** After making the required payment through challan, if the payment status has not been updated even after 7 working days, then kindly mail a copy of your challan with transaction date and reference id to Email: fcsbtr@unionbankofindia.bank , epurse@unionbankofindia.bank, ubin0903710@unionbankofindia.bank

[https://forestclearance.nic.in/useraccount/Netf\\_ChallanCorp.aspx?pk=RCAD1203262021191](https://forestclearance.nic.in/useraccount/Netf_ChallanCorp.aspx?pk=RCAD1203262021191)

3/1  


Project Director  
NHA, PIU - Sohna

## Details of payment made by User Agency through RTGS fund transfer



### Detailed Statement

Name: NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF INDIA RO DELHI A/C Branch: DWARKA, SECTOR - 6, DELHI

Address: G-5 6 SECTOR 10 DWARKA,NEW DELHI,110075,DELHI,INDIA Branch Address: ICICI BANK LTD., PLOT NO. 5 & 6, LSC - 3, DWARKA, SEC-06, DELHI ,DELHI,DELHI,INDIA

A/C No: 025001017186 A/C Type: SBA

Jt. Holder: Cust ID: 581086763

Transaction Date from: 10/07/2023 Branch Code: 0843

Transaction Period: From 10/07/2023 To 24/07/2023 IFSC Code: ICIC0000843

Statement Request/Download Date: 24/07/2023

### Advanced Search

Amount from: NA To NA

Cheque number from: NA To NA

Transaction remarks:

Transaction type: DR


Sl No	Tran Id	Value Date	Transaction Date	Transaction Posted Date	Cheque no / Ref No	Transaction Remarks	Withdrawal (Dr)	Deposit (Cr)	Balance
1	S75148472	09/Jul/2023	10/Jul/2023	09/07/2023 10:54:29 AM		GIB/002002333619/GS T /23070600018108	31,838.00		11,39,94.63 8.37
2	S86198740	10/Jul/2023	10/Jul/2023	10/07/2023 01:08:12 PM		NEFT- RBI1922357381791- CS-NHAI-FARO DELHI-NATIONAL HIGHWA-- 10698101002- RBIS0PFMS01		2,72,86,287 .00	14,12,80.92 5.37
3	S88309256	10/Jul/2023	10/Jul/2023	10/07/2023 03:28:23 PM		NEFT:000137301188/U TIBONPS001/NP TRUST ACCOUNT	23,072.00		14,12,57.85 3.37
4	S88336774	10/Jul/2023	10/Jul/2023	10/07/2023 03:29:54 PM		NEFT:000137301564/U TIBONPS001/NP TRUST ACCOUNT	47,201.00		14,12,10.65 2.37
5	S88372452	10/Jul/2023	10/Jul/2023	10/07/2023 03:31:58 PM		NEFT:000137301362/U TIBONPS001/NP TRUST ACCOUNT	31,149.00		14,11,79.50 3.37
6	S89225974	10/Jul/2023	10/Jul/2023	10/07/2023 04:24:31 PM		NEFT- N191232542460708- SRI SAI ENTERPRISES- NEFTTCS 2 59209440293555 SRI- 59209440293555- HDFC00		3,903.00	14,11,83.40 6.37
7	S89226503	10/Jul/2023	10/Jul/2023	10/07/2023 04:24:32 PM		NEFT- N191232542460707- SRI SAI ENTERPRISES- NEFTTCS 2 59209440293555 SRI- 59209440293555- HDFC00		2,87,340.00	14,14,70.74 6.37
8	S91286576	10/Jul/2023	10/Jul/2023	10/07/2023 06:33:42 PM		NEFT- RBI1922359799302- CS-NHAI-FARO DELHI-NATIONAL HIGHWA-- 10698101002- RBIS0PFMS01		53,353.00	14,15,24.09 9.37
9	S91286578	10/Jul/2023	10/Jul/2023	10/07/2023 06:33:42 PM		NEFT- RBI1922359799300- CS-NHAI-FARO DELHI-NATIONAL HIGHWA-- 10698101002- RBIS0PFMS01		3,48,955.00	14,18,73.05 4.37
10	S91286326	10/Jul/2023	10/Jul/2023	10/07/2023 06:33:43 PM		NEFT- RBI1922359799823- CS-NHAI-FARO DELHI-NATIONAL HIGHWA-- 10698101002- RBIS0PFMS01		64,225.00	14,19,37.27 9.37
11	S91297689	10/Jul/2023	10/Jul/2023	10/07/2023 06:34:27 PM		NEFT- RBI1922359800813- CS-NHAI-FARO DELHI-NATIONAL HIGHWA-- 10698101002- RBIS0PFMS01		99,517.00	14,20,36.79 6.37

Project Director  
NHAI, PIU - Sohna

135	S88996 994	20/Jul/2023	20/Jul/2023	20/07/2023 02:13:03 PM		NEFT- N201232557338247- SRI SAI ENTERPRISES- NEFTTCS 2 59209440293555 SRI- 59209440293555- HDFC00		1,248.00	22,35,38.08 5.37
136	S88998 377	20/Jul/2023	20/Jul/2023	20/07/2023 02:13:08 PM		NEFT- N201232557338245- SRI SAI ENTERPRISES- NEFTTCS 2 59209440293555 SRI- 59209440293555- HDFC00		95,780.00	22,36,33.86 5.37
137	S89986 938	20/Jul/2023	20/Jul/2023	20/07/2023 04:00:44 PM		RTGS-ICICR52023072 000344006-UBIN09963 35/RAJASTHANCAM PA	10,86,913.0 0		22,25,46.95 2.37
138	S91322 829	20/Jul/2023	20/Jul/2023	20/07/2023 06:13:24 PM		NEFT- RB12022377369792- CS-NHAI-FARO DELHI-NATIONAL HIGHWA-- 10698101002- RBIS0PFMS01		6,850.00	22,25,53.80 2.37
139	S91323 161	20/Jul/2023	20/Jul/2023	20/07/2023 06:13:24 PM		NEFT- RB12022377369790- CS-NHAI-FARO DELHI-NATIONAL HIGHWA-- 10698101002- RBIS0PFMS01		90,000.00	22,26,43.80 2.37
140	S91326 288	20/Jul/2023	20/Jul/2023	20/07/2023 06:13:44 PM		NEFT- RB12022377370774- CS-NHAI-FARO DELHI-NATIONAL HIGHWA-- 10698101002- RBIS0PFMS01		70,324.00	22,27,14.12 6.37
141	S91326 663	20/Jul/2023	20/Jul/2023	20/07/2023 06:13:44 PM		NEFT- RB12022377370538- CS-NHAI-FARO DELHI-NATIONAL HIGHWA-- 10698101002- RBIS0PFMS01		29,75,824.0 0	22,56,89.95 0.37
142	S91383 941	20/Jul/2023	20/Jul/2023	20/07/2023 06:18:48 PM		NEFT- RB12022377391632- CS-NHAI-FARO DELHI-NATIONAL HIGHWA-- 10698101002- RBIS0PFMS01		936.00	22,56,90.88 6.37
143	S91384 062	20/Jul/2023	20/Jul/2023	20/07/2023 06:18:49 PM		NEFT- RB12022377391681- CS-NHAI-FARO DELHI-NATIONAL HIGHWA-- 10698101002- RBIS0PFMS01		41,040.00	22,57,31.92 6.37
144	S91404 648	20/Jul/2023	20/Jul/2023	20/07/2023 06:20:40 PM		NEFT- RB12022377393978- CS-NHAI-FARO DELHI-NATIONAL HIGHWA-- 10698101002- RBIS0PFMS01		2,67,369.00	22,59,99.29 5.37
145	S91404 430	20/Jul/2023	20/Jul/2023	20/07/2023 06:20:41 PM		NEFT- RB12022377393982- CS-NHAI-FARO DELHI-NATIONAL HIGHWA-- 10698101002- RBIS0PFMS01		1,25,802.00	22,61,25.09 7.37
146	S98236 817	21/Jul/2023	21/Jul/2023	21/07/2023 02:15:20 PM		NEFT- N202232558733427- SRI SAI ENTERPRISES- NEFTTCS 2 59209440293555 SRI- 59209440293555- HDFC00		1,394.00	22,61,26.49 1.37
147	S98236 839	21/Jul/2023	21/Jul/2023	21/07/2023 02:15:21 PM		NEFT- N202232558733424- SRI SAI ENTERPRISES- NEFTTCS 2 59209440293555 SRI- 59209440293555- HDFC00		95,780.00	22,62,22.27 1.37
148	S98677 783	21/Jul/2023	21/Jul/2023	21/07/2023 03:05:07 PM		NEFT- RB12032378896952- CS-NHAI-FARO DELHI-NATIONAL HIGHWA-- 10698101002- RBIS0PFMS01		70,932.00	22,62,93.20 3.37

**Project Director  
NHAI, PIU - Sohna**

**Copy of online CAMPA confirmation on receipt of payment on PARIVESH e-portal**



**PARIVESH**  
परिवेश

Ministry of Environment, Forest and Climate Change  
Government of India

"Pro Active and Responsive facilitation by Interactive, Virtuous and Environmental Singlewindow Hub"

11:32:08 AM

My Account > My Proposals Environment Clearance > Only CRZ Clearance > My Proposals Forest Clearance > My Proposals Wildlife Clearance > Help >

Sno.	Proposal Detail	Application No (New)	Date of IN-PRINCIPLE	Amount to be Paid/Amount Paid (in Rs.)	Payment Status	Payment Detail	Demand Letter
1	FP/RJ/ROAD/150326/2021 Development of Economic Corridors, Inter Corridors and Feeder Routes to improve the efficiency of freight movement in India under Bharatmala Pariyojana (Lot-6/package-4) - Panivala-Alwar-Barodamee.	ROAD150326202119161150326191	19 May 2023	CA: 359000/- Addl CA: 0/- PCA: 0/- CAT: 0/- Safety Zone: 0/- Addl PA: 0/- NPV: 727913/- Other Charges: 0/- Other Charges1: 0/- Other Charges2: 0/- Other Charges3: 0/- Total: 1086913/-	<b>PAID</b>	Fund Demand Verified by Nodal Officer on Bank Name Union Bank Of India Mode of Payment NEFT/RTGS (Challan) Challan Generated On 14 Jun 2023 Transaction Date 20 Jul 2023	Demand Letter Generated Challan



**Project Director**  
NHAI, PIU - Sohna



सत्यमेव जयते

# भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण

(सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार)

## National Highways Authority of India

(Ministry of Road Transport and Highways, Govt. of India)

परियोजना कार्यान्वयन इकाई, सोहना / **Project Implementation Unit, Sohna**

डीवीई किमी 0+000 इण्टरचेंज पर, गुरुग्राम-सोहना रोड, गुरुग्राम, (हरियाणा) - 122102

Interchange at KM. 0+000 of DVE, Gurugram Sohna Road, Gurugram-122102

E-mail: piusohna@nhai.org | piusohna@gmail.com | Tel: 0124-2978623 | Web: www.nhai.gov.in



### संलग्नक-13

### वचनबद्धता प्रमाण-पत्र (Undertaking)

शर्त संख्या-13 - प्रमाणित किया जाता है कि प्रस्ताव संख्या – FP/RJ/ROAD/150326/2021 के संबन्ध में प्रयोक्ता अभिकरण वचनबद्ध है कि सक्षम स्तर से यदि एन.पी.वी. की दरों में बढ़ोतरी होती है तो बढ़ी हुई धन राशि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा जमा की जाएगी।

**Project Director**

**PIU-Sohna**

**NHAI**

**Project Director  
NHAI, PIU - Sohna**



# भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण

(सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार)

## National Highways Authority of India

(Ministry of Road Transport and Highways, Govt. of India)

परियोजना कार्यान्वयन इकाई, सोहना / Project Implementation Unit, Sohna

डीवीई किमी 0+000 इण्टरचेंज पर, गुरुग्राम-सोहना रोड, गुरुग्राम, (हरियाणा) - 122102

Interchangeat KM. 0+000 of DVE, Gurugram Sohna Road, Gurugram-122102

E-mail: piusohna@nhai.org | piusohna@gmail.com | Tel: 0124-2978623 | Web: www.nhai.gov.in



संलग्नक-14

### वचनबद्धता प्रमाण-पत्र (Undertaking)

शर्त संख्या-14 - प्रमाणित किया जाता है कि प्रस्ताव संख्या – FP/RJ/ROAD/150326/2021 के संबंध में प्रयोक्ता अभिकरण वचनबद्ध है कि राज्य सरकार द्वारा दी गई उक्त अनुमति का प्रबोधन संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय, वन एवं पर्यावरण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा किया जा सकेगा।

**Project Director**

**PIU-Sohna**

**NHAI**

**Project Director  
NHAI, PIU - Sohna**



Advertisement of Forest Clearance letter in English newspaper (Times of India, pg. no. 6, dated Monday, June 19, 2023)


6

TIMES NATION

THE TIMES OF INDIA, DELHI, MONDAY, JUNE 19, 2023

'Final NCF recommendations for Class 3-12 will be ready in June'

Education minister Dharmendra Pradhan speaks to TOI; Manohar Gohain on the textbooks controversy, CBSE and NEET as well as the status of the National Curriculum Framework for school education and Higher Education Commission of India (HECI). Excerpts from the interview:



Education Minister Dharmendra Pradhan speaks to TOI; Manohar Gohain on the textbooks controversy, CBSE and NEET as well as the status of the National Curriculum Framework for school education and Higher Education Commission of India (HECI). Excerpts from the interview:

CBSE was almost a decade in the first year... Last year's learning helped us deliver the best... CBSE will be ready in June...



Manohar Gohain on the textbooks controversy, CBSE and NEET as well as the status of the National Curriculum Framework for school education and Higher Education Commission of India (HECI). Excerpts from the interview:

HECI is being conducted based on the Supreme Court's direction... HECI will be ready in June...

In all three, textbooks for Class 1 and 2 are already prepared... NEET is being conducted based on the Supreme Court's direction...

Why is the NCF silent on English language? We have placed the pro-draft in the public domain... NEET is being conducted based on the Supreme Court's direction...

JEE-A qualifying cutoff soars to 86, up from last year's 55


Continued from P 1

That has been offset by a larger share of candidates... JEE-A qualifying cutoff soars to 86, up from last year's 55...

Why is the NCF silent on English language? We have placed the pro-draft in the public domain... NEET is being conducted based on the Supreme Court's direction...

Two women trying to foil brother's abduction shot

Abhay@newsroom.com



Abhay@newsroom.com

New Delhi: Two sisters were shot when they tried to save their brother from being abducted by a group of men... Two women trying to foil brother's abduction shot...

Close shave for KID, neighbours



Close shave for KID, neighbours

Between 2:30 am and 3:30 am, 16-12 men... Close shave for KID, neighbours...

Foed over girl leads to killing outside college in Delhi's South Campus



Foed over girl leads to killing outside college in Delhi's South Campus

New Delhi: A 15-year-old youth was stabbed to death... Foed over girl leads to killing outside college in Delhi's South Campus...

What are your views on opposition to NEET? NEET is being conducted based on the Supreme Court's direction... NEET is being conducted based on the Supreme Court's direction...

Delhi cops, FBI join hands to bust narco-extortionists... Delhi cops, FBI join hands to bust narco-extortionists...

ASRTU logo and contact information.

CHEMICAL METRO RAIL LIMITED logo and contact information.

Southern Railway logo and contact information.

COIN CALLS logo and contact information.

COIN CALLS logo and contact information.

ASRTU logo and contact information.

CENTRAL INSTITUTE OF ROAD TRANSPORT logo and contact information.

THE NEW INDIA ASSURANCE CO. LTD logo and contact information.

Nominated Authority Ministry of Coal, Government of India logo and contact information.

Handwritten signature or initials.

Project Director NHA, PIU - Sohna

Advertisement of Forest Clearance letter in local language newspaper (Rajasthan Patrika-Jaipur, pg. no. 15, dated Monday, June 19, 2023)

**पत्रिका स्पोर्ट्स & गेमिंग**  
 patrika.com | S.P. SPORTS & GAMES | 15 | राजस्थान पत्रिका patrika.com |  
 जयपुर, सोमवार, 19 जून 2023

**इंद्रवज्य: कोलकाता नाइट राइडर्स के 25 वर्षीय तृफानी बल्लेबाज को जयपुर शहर काफी पसंद आया**  
**हमेशा जेहन में रहता है टीम इंडिया के लिए खेलने का सपना: रिकू सिंह**

कोलकाता नाइट राइडर्स के 25 वर्षीय तृफानी बल्लेबाज रिकू सिंह का जयपुर शहर काफी पसंद आया है। रिकू सिंह का जयपुर शहर काफी पसंद आया है। रिकू सिंह का जयपुर शहर काफी पसंद आया है।

**अधिकांश जेहन में रहता है टीम इंडिया के लिए खेलने का सपना: रिकू सिंह**

रिकू सिंह का जयपुर शहर काफी पसंद आया है। रिकू सिंह का जयपुर शहर काफी पसंद आया है। रिकू सिंह का जयपुर शहर काफी पसंद आया है।

**प्रार्थसक ने मैदान में घुसकर रोनाल्डो को गोद में उठवाया**

प्रार्थसक ने मैदान में घुसकर रोनाल्डो को गोद में उठवाया है। प्रार्थसक ने मैदान में घुसकर रोनाल्डो को गोद में उठवाया है। प्रार्थसक ने मैदान में घुसकर रोनाल्डो को गोद में उठवाया है।

**क्रॉसवर्ड 6659...**

**सुडोकू 6394...**

**भारत ने दूसरी बार जीता खिताब**

भारत ने दूसरी बार जीता खिताब है। भारत ने दूसरी बार जीता खिताब है। भारत ने दूसरी बार जीता खिताब है।

**एशेज सीरीज, पहला मैच: ऑस्ट्रेलियाई टीम ने पहली पारी में 386 रन बनाए**  
**इंग्लैंड को सात रन की मिली बढ़त, दूसरी पारी में जल्द दो विकेट गंवाए**

एशेज सीरीज, पहला मैच: ऑस्ट्रेलियाई टीम ने पहली पारी में 386 रन बनाए हैं। इंग्लैंड को सात रन की मिली बढ़त है, दूसरी पारी में जल्द दो विकेट गंवाए।

**निराशाजनक: बारिश के कारण तीसरे दिन का खेल जल्द खत्म**

निराशाजनक: बारिश के कारण तीसरे दिन का खेल जल्द खत्म होगा। निराशाजनक: बारिश के कारण तीसरे दिन का खेल जल्द खत्म होगा।

**इंडीयन प्रिमियर लीग: फाइनल में लखनऊ को 2-0 से हराया**  
**भारत ने दूसरी बार जीता खिताब**

इंडीयन प्रिमियर लीग: फाइनल में लखनऊ को 2-0 से हराया। भारत ने दूसरी बार जीता खिताब है।

**अंतर-23 कस्तूरी**  
**भारत ने 23 रतन समेत 4 पदक जीते**

अंतर-23 कस्तूरी: भारत ने 23 रतन समेत 4 पदक जीते हैं। अंतर-23 कस्तूरी: भारत ने 23 रतन समेत 4 पदक जीते हैं।

**खबीता फोगाट का साक्षी मलिक पर पलटवार**

खबीता फोगाट का साक्षी मलिक पर पलटवार है। खबीता फोगाट का साक्षी मलिक पर पलटवार है।

**एथी मरे ने ग्राम कोर्ट पर दूसरा खिताब जीता**

एथी मरे ने ग्राम कोर्ट पर दूसरा खिताब जीता है। एथी मरे ने ग्राम कोर्ट पर दूसरा खिताब जीता है।

**सहायता: मोना और वाही में विराटवट**

सहायता: मोना और वाही में विराटवट है। सहायता: मोना और वाही में विराटवट है।

**आसारिणी प्रभा पंचमवाक्य, शिवाजी भवटीय**

आसारिणी प्रभा पंचमवाक्य, शिवाजी भवटीय। आसारिणी प्रभा पंचमवाक्य, शिवाजी भवटीय।

**आसारिणी प्रभा पंचमवाक्य, शिवाजी भवटीय**

आसारिणी प्रभा पंचमवाक्य, शिवाजी भवटीय। आसारिणी प्रभा पंचमवाक्य, शिवाजी भवटीय।

Advertisement of Forest Clearance letter in local language newspaper (Rajasthan Patrika-Alwar, pg. no. 7, dated Monday, June 19, 2023)

**बहरोड़-नीमराणा पत्रिका 07** राजस्थान पत्रिका patrika.com  
 बुलना दर्द, गर्दन दर्द, कलाई दर्द, कमर दर्द

**जोड़ों के दर्द की बेजोड़ दवा**  
**डा. आर्थो**

कृषि महोत्सव : किसानों ने कृषि बागवानी की नई तकनीकी सीखी

समस्या : पानी निकासी की उचित व्यवस्था नहीं होने से सड़कें हो गई क्षतिग्रस्त

**औद्योगिक क्षेत्र में नालों की नहीं हो रही सफाई, सड़कें बन गई दरिया**

मानवीकरण में आज बैंक रहेगा बंद

मेहुल ने 3242वीं रैंक हासिल की

आदिपत्य का बेहोड़ एडवॉकेट में चयन

प्रतिभाओं का किया सम्मान

बारिश से पौधों में महक रहे फूल

रिक्कि में स्वस्थ रहने से सीखे सुर

गिरफ्तारी की मांग का सोपा ज्ञानपति

आंदोलन को लेकर बनाई रणनीति

युवाओं ने किया जन सवाद

क्रिसस कन्या का किया उद्घाटन








Handwritten signature or initials in blue ink.

## Stage-I Advertisement in newspapers



### राजस्थान सरकार वन विभाग

क्रमांक: प. 1 (28) वन / 2023

प्रधान मुख्य वन संरक्षक, (HoFF)

राजस्थान, जयपुर

जयपुर, दिनांक:- 19.05.2023

**विषय:-** Diversion of 0.76 ha. forest land for Development of Economic Corridors Inter Corridors and Feeder Routes to improve the Efficiency of freight movement in India under Bharatmala Pariyojana (Lot-6/Package-4)-Paniyala-Alwar-Barodameo.

**संदर्भ :-** प्रस्ताव संख्या (Proposal No. FP/RJ/ROAD/150326/2021)

**महोदय,**

उपरोक्त प्रस्ताव में भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (प्रयोक्ता अभिकरण) द्वारा वन संरक्षण अधिनियम 1980 के अन्तर्गत सामान्य स्वीकृति के तहत धारा-2 में भारतमाला परियोजना (लॉट-6/पैकेज-4) पनीयाला-अलवर-बडोदामेव के तहत भारत में माल दुलाई की दक्षता में सुधार के लिए आर्थिक गलियारों, इंटर कॉरिडोर और फीडरमार्गों के विकास हेतु कुल 0.76 हेक्टर वन भूमि प्रत्यावर्तन की स्वीकृति चाही गई है। नोडल अधिकारी वन संरक्षण अधिनियम द्वारा प्रस्तुत किये गये प्रस्ताव पर विचारोपरान्त प्रस्ताव पर वन संरक्षक अधिनियम के अन्तर्गत सामान्य दिशा निर्देशों के परिपेक्ष्य में Diversion of 0.76 ha. forest land for Development of Economic Corridors Inter Corridors and Feeder Routes to improve the Efficiency of freight movement in India under Bharatmala Pariyojana (Lot-6/Package-4)-Paniyala-Alwar-Barodameo की सैद्धान्तिक स्वीकृति 18 वृक्षों के पातन सहित निम्न शर्तों के अधीन प्रदान करती है:-

- वन भूमि की वैधानिक स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होगा।
- प्रत्यावर्तित वन भूमि का उपयोग किसी अन्य प्रयोजन के लिये नहीं किया जायेगा।
- रात्रि केमिंग नहीं की जायेगी।
- प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा निर्माण कार्य के दौरान स्थल पर कार्यरत मजदूरों/स्टाफ को रसोई गैस/केरासिन तेल आपूर्ति की जायेगी, ताकि निकटवर्ती वनों को क्षति न हो।
- प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तावित वनभूमि के अतिरिक्त आस-पास की वनभूमि से/पर निर्माण कार्य के दौरान मिट्टी/पत्थर काटने एवं भरने का कार्य नहीं किया जायेगा।
- प्रयोक्ता अभिकरण वर्तमान एवं भविष्य में योजना पर लागू सभी नियम, कानून तथा दिशा निर्देशों का पालन करेगा।
- प्रत्यावर्तित क्षेत्र के आस-पास में वनस्पति/वन्यजीवन (Flora/Fauna) की क्षति न होने की यूजर एजेंसी की जिम्मेदारी रहेगी एवं इनको संरक्षित रखने की जिम्मेदारी भी यूजर एजेंसी की होगी।
- उप वन संरक्षक द्वारा विद्युत लाईन के नीचे रिक्त पड़े स्थानों पर छोटे/बौने पीधों (ओबसीय नहल) के वृक्षारोपण की योजना बनाकर मुख्य वन संरक्षक से अनुमोदन करा प्रयोक्ता अभिकरण के व्यय पर वृक्षारोपण करावा जायेगा।
- प्रयोक्ता अभिकरण, सैद्धान्तिक स्वीकृति की पालना के साथ एफ.आर.ए. सर्टिफिकेट प्रस्तुत करावेगा। तदोपरान्त ही विधिवत स्वीकृति पर विचार किया जावेगा।
- प्रयोक्ता अभिकरण के व्यय पर वन विभाग द्वारा 100 वृक्षों का वृक्षारोपण एवं 10 वर्षों तक रखरखाव किया जायेगा। इस हेतु प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा वर्तमान दरों का समाहित करते हुये राशि जमा की जायेगी।
- प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा माननीय उच्चतम न्यायालय के रिट पिटीशन (सिविल) 202/1995 के अन्तर्गत आई.ए. संख्या 568 एवं भारत सरकार के पत्र संख्या 5-3/2007-एफ.सी. दिनांक 05.02.2009 के तहत में दिये गए आदेशानुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन.पी.वी.) की निर्धारित राशि जमा की जायेगी।
- प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा माननीय उच्चतम न्यायालय के रिट पिटीशन (सिविल) 202/1995 के अन्तर्गत आई.ए. संख्या 568 एवं भारत सरकार के पत्र संख्या 5-3/2007-एफ.सी. दिनांक 05.02.2009 तथा पत्र 12-2/2010-CAMPA दिनांक 09.06.2016 में दिये गए आदेशानुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन.पी.वी.) की निर्धारित राशि जमा की जायेगी। उपरोक्त अनुदेशों के अनुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य तथा दूसरी सभी निधियां प्रतिपूर्ति पौधारोपण निधि प्रबंधन तथा योजना प्राधिकरण के तदर्थ निकाय के बैचपोटल OSMFWP द्वारा सुजित ई-चालान द्वारा जमा करायी जायेगी। जिसके उपरान्त ई-चालान की छाया प्रति, जमा की गई धनराशि का बैंक चालान/यूटीआर संख्या/एनईएफटी नम्बर की छाया प्रति सहित सैद्धान्तिक स्वीकृति की अनुपालना आख्या जिसमें जमा की गई राशि का मदवार विवरण हो) प्रेषित की जाए, तदोपरान्त विधिवत स्वीकृति पर विचार किया जावेगा।
- प्रयोक्ता अभिकरण इस आशय का सचनबद्धता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करेंगे कि सक्षम स्तर से यदि एन.पी.वी. की दरों में बढोतरी होती है तो बढी हुई धन राशि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा जमा की जाएगी।
- राज्य सरकार द्वारा दी गई उक्त अनुमति का प्रबोधन संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय, वन एवं पर्यावरण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा किया जा सकेगा।
- भारत सरकार के पत्रांक 7-23/2012/एफसी दिनांक 24.07.2013 से माननीय यून ट्रिब्यूनल द्वारा दिनांक 07.11.2012 को पारित निर्णय की पालना प्रकरण में सुनिश्चित की जावे तथा प्रकरण में जारी स्वीकृति को यूजर एजेंसी द्वारा हिन्दी एवं अंग्रेजी में प्रकाशित होने वाले समाचार पत्रों में अक्षरशः प्रकाशित करावे एवं जारी स्वीकृतियों की प्रतियां लोकल बॉडीज, पंचायत एवं नगरपालिका के राजकीय अधिकारियों को स्वीकृति प्राप्ति के 30 दिन के अन्दर उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

भवदीय,

(मोनाली सेन)  
विशेषाधिकारी

क्रमांक: प. 1 (28) वन / 2023

जयपुर, दिनांक :- 09.06.2023

### शुद्धि पत्र






Diversion of 0.76 ha. forest land for Development of Economic Corridors Inter Corridors and Feeder Routes to improve the Efficiency of freight movement in India under Bharatmala Pariyojana (Lot-6/Package-4)-Paniyala-Alwar-Barodameo. (Proposal No. FP/RJ/ROAD/150326/2021) के संबंध में इस विभाग के समसंख्यक सैद्धान्तिक स्वीकृति पत्र दिनांक 19.05.2023 में वर्णित शर्त संख्या 8 को बिलोपित किया जाता है साथ ही शर्त 10 में निम्नानुसार संशोधन किया जाता है:-

"प्रयोक्ता अभिकरण के व्यय पर वन विभाग द्वारा शून्य से 10 वृक्षों का पातन होने पर 100 वृक्षों तथा 10 से अधिक वृक्षों का पातन होने पर पातन किये जाने वाले वृक्षों का बस गुना संख्या में वृक्षों का वृक्षारोपण एवं 10 वर्षों तक रखरखाव किया जायेगा। इस हेतु प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा वर्तमान दरों को समाहित करते हुये राशि बैचपोटल OSMFWP (Online Submission & Monitoring of Forest & Wildlife Clearance Portal) द्वारा सुजित ई-चालान द्वारा जमा की जायेगी।"

आज्ञा से  
(मोनाली सेन)  
विशेषाधिकारी, वन

Project Director  
NHA, PIU - Sohna

**Submission of Stage-I Forest Clearance letter to panchayat of  
Bagadmeo village (Forest area in the village: 0.11 ha.)**

	<b>भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण</b> (सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार) <b>National Highways Authority of India</b> (Ministry of Road Transport and Highways, Govt. of India) परियोजना कार्यान्वयन इकाई, सोहना / Project Implementation Unit, Sohna प्लॉट संख्या-106, पी-ब्लॉक, उपपल साउथवर्ड, सेक्टर-48, गुराग्राम (हरियाणा)-122018 Plot No. 106, P-Block, Uppal Southend, Sector-48, Gurugram (Haryana)-122018 Email: pi@sohna@nhai.org   pi@sohna@gmail.com   Tel: 0124-4216319   Web: www.nhai.gov.in	
संख्या: भारतसमा/पीआईयू-सोहना/पीएबी/वन/2023/डी-5892		दिनांक 16.06.2023
संवा में,	श्रीमान सरपंच बागर मेओ ग्राम पंचायत अलवर (राजस्थान)।	
विषय:	Diversion of 0.76 ha. Forest land for Development of Economic Corridors Inter Corridors and Feeder Routes to improve the Efficiency of freight movement in India under Bharatmala pariyojana (Lot-6/Package-4)-Paniyala-Alwar Barodameo.	
सन्दर्भ:	(1) प्रस्ताव संख्या FP/RJ/ROAD/150326/2021। (2) पत्र संख्या प. 1 (28) वन/2023 दिनांक 19.06.2023।	
महोदय,	उपरोक्त विषयक के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि वन विभाग, राजस्थान सरकार के पत्र दिनांक 19.06.2023 के माध्यम से 0.76 हे० भूमि परिवर्तन के लिए प्रथम चरण की सैद्धान्तिक स्वीकृति प्रदान कर दी गयी है।	
	2 सैद्धान्तिक स्वीकृति के बिन्दु संख्या-15 के क्रम में उक्त स्वीकृति आपके सूचनार्थ हेतु प्रेषित की जाती है। धन्यवाद	
संलग्नक: उपरोक्तानुसार		भवदीय  परियोजना निदेशक पीआईयू-सोहना
प्रतिलिपि :	1. महाप्रबन्धक, (तक.)/क्षेत्रीय अधिकारी, भारासमा मुख्यालय, नई दिल्ली को सूचनार्थ प्रेषित। 2. मै० चैतेन्या प्रोजेक्ट्स कन्सलटेन्सी (प्रा) लि० को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।	
		 Project Director NHAI, PIU - Sohna
प्रधान कार्यालय: जी-5 एवं 8, सेक्टर-10, द्वारका, नई दिल्ली-110075, इुराग्राम 011-25074100/25074200, वेबसाइट: https://www.nhai.gov.in Corporate Office: G-5&6, Sector-10, Dwarka, New Delhi - 110075, Tel: 011-25074100/25074200, Web: https://www.nhai.gov.in		
Scanned with CamScanner		

**Submission of Stage-I Forest Clearance letter to panchayat of  
Siwana village (Forest area in the village: 0.65 ha.)**



सत्यमेव जयते

**भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण**

(सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार)

**National Highways Authority of India**

(Ministry of Road Transport and Highways, Govt. of India)

परियोजना कार्यान्वयन इकाई, सोहना / Project Implementation Unit, Sohna

प्लॉट संख्या-106, पी-ब्लॉक, उपपल सावधरुड, सेक्टर-48, गुरुग्राम (हरियाणा)-122018

Plot No. 106, P-Block, Uppal Southend, Sector-48, Gurugram (Haryana)-122018

E-mail: piusohna@nhai.org; piusohna@gmail.com; Tel: 0124-4218389; Web: www.nhai.gov.in



भारतमार्ग/पीआईयू-सोहना/पीएपी/वन/2023/डी-5893

दिनांक 16.06.2023

सेवा में,

श्रीमान सरपंच  
बल्लम ग्राम पंचायत  
अलवर (राजस्थान)।

विषय: Diversion of 0.76 ha. Forest land for Development of Economic Corridors Inter Corridors and Feeder Routes to improve the Efficiency of freight movement in India under Bharatmala pariyojana (Lot-6/Package-4)-Paniyala-Alwar Barodameo.

सन्दर्भ: (1) प्रस्ताव संख्या FP/RJ/ROAD/150326/2021।  
(2) पत्र संख्या प. 1 (28) वन/2023 दिनांक 19.05.2023।

महोदय,

उपरोक्त विषयक के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि वन विभाग, राजस्थान सरकार के पत्र दिनांक 19.05.2023 के माध्यम से 0.76 है० भूमि परिवर्तन के लिए प्रथम चरण की सैद्धान्तिक स्वीकृति प्रदान कर दी गयी है।

2. सैद्धान्तिक स्वीकृति के बिन्दु संख्या-15 के कम में उक्त स्वीकृति आपको सूचनार्थ हेतु प्रेषित की जाती है।

धन्यवाद

संलग्नक: उपरोक्तानुसार

भवदीय

परियोजना निदेशक  
पीआईयू-सोहना

प्रतिलिपि :

1. महाप्रबन्धक, (तक)/क्षेत्रीय अधिकारी, भारतमार्ग मुख्यालय, नई दिल्ली को सूचनार्थ प्रेषित।
2. मै० चैतेन्या प्रोजेक्ट्स कन्सलटेन्सी (प्रा) लि० को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

रस कौपी जाफ की

असर फी


सरपंच बल्लमग्राम

19/06/2023

सरपंच

ग्राम पंचायत, बल्लमग्राम  
स० कृष्णगढ़ बास (अलवर)

Project Director  
NHAI, PIU - Sohna



राजस्थान RAJASTHAN

BM 501374

संलग्नक-17

**STAGE-I COMPLIANCE REPORT**

Forest Diversion Proposal No.: FP/RJ/ROAD/150326/2021

Forest area: 0.76 ha.

Stage-I Clearance obtained from Forest Department, Government of Rajasthan

via letter no. प. 1 (28) वन/2023 dated 19.05.2023

क्र. सं.	स्थितिया	अनुपालन
1.	वन भूमि की वैधानिक स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होगा।	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा इस आशय का वचनबद्धता प्रमाण पत्र संलग्न है कि वन भूमि की वैधानिक स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होगा। (संलग्नक-1)
2.	प्रत्यावर्तित वन भूमि का उपयोग किसी अन्य प्रयोजन के लिये नहीं किया जावेगा।	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा इस आशय का वचनबद्धता प्रमाण पत्र संलग्न है कि प्रत्यावर्तित वन भूमि का उपयोग किसी अन्य प्रयोजन के लिये नहीं किया जावेगा। (संलग्नक-2)
3.	रात्रि केमपिंग नहीं की जायेगी।	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा इस आशय का वचनबद्धता प्रमाण पत्र संलग्न है कि रात्रि केमपिंग नहीं की जायेगी। (संलग्नक-3)

कविता शर्मा स्टाम्प विक्रेता मिनि सचिवालय, जालवर ला.नं.-57/2022

क्र.सं. 393 कोमत 100/- दिनांक 27/7/23

नाम Rajasthan Govt. Forest Dept. NHAI Gol. ALWAR.

जाति कृषीर निवासी

तहसील ALWAR जिला ALWAR

पास्ते 2146/16 जरिये 2146/3/0 श्री विठ्ठलेश लाल शांडव  
कां. 8, प्लाना काको भौंठो  
स्टेशन - कालवरे

हो खेता

हो विक्रेता

कविता

कविता

810 नं. 3904-7816-9710

प्रत्यक्ष स्टाम्प अधिनियम 1998 के अन्तर्गत स्टाम्प शि पर प्रचारित अधिकार	
1. आवकपूर्व अन्वयणन शुल्क (पार 3-क)-10%	10/-
2. गांव और डलवी नाल के नालन और संपर्न हेतु (पार 3-ख) 10% आवक	10/-
3. प्राकृतिक एवं मानव विमित्त अन्वयणन से राहत हेतु अधिनियम (पार 3-ग)-10% सक्के	10/-
प्रत्यक्ष स्टाम्प वैमडर	कुल योग 30/-

कविता

Project Director  
NHAI, PIU - Sohna



क्र. सं.	स्थितिया	अनुपालन
4.	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा निर्माण कार्य के दौरान स्थल पर कार्यरत मजदूरों/स्टाफ को रसोई गैस/केरासिन तेल आपूर्ति की जायेगी, ताकि निकटवर्ती वनों को क्षति न हो।	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा इस आशय का वचनबद्धता प्रमाण पत्र संलग्न है कि निर्माण कार्य के दौरान स्थल पर कार्यरत मजदूरों/स्टाफ को रसोई गैस/केरासिन तेल आपूर्ति की जायेगी, ताकि निकटवर्ती वनों को क्षति न हो। (संलग्नक-4)
5.	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तावित वनभूमि के अतिरिक्त आस-पास की वनभूमि से/पर निर्माण कार्य के दौरान मिट्टी/पत्थर काटने एवं भरने का कार्य नहीं किया जावेगा।	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा इस आशय का वचनबद्धता प्रमाण पत्र संलग्न है कि प्रस्तावित वनभूमि के अतिरिक्त आस-पास की वनभूमि से/पर निर्माण कार्य के दौरान मिट्टी/पत्थर काटने एवं भरने का कार्य नहीं किया जावेगा। (संलग्नक-5)
6.	प्रयोक्ता अभिकरण वर्तमान एवं भविष्य में योजना पर लागू सभी नियम, कानून तथा दिशा निर्देशों का पालन करेगा।	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा इस आशय का वचनबद्धता प्रमाण पत्र संलग्न है कि प्रयोक्ता अभिकरण वर्तमान एवं भविष्य में योजना पर लागू सभी नियम, कानून तथा दिशा निर्देशों का पालन करेगा। (संलग्नक-6)
7.	प्रत्यावर्तित क्षेत्र के आस-पास में वनस्पति / वन्यजीव (Flora/Fauna) की क्षति न होने की यूजर एजेन्सी की जिम्मेदारी रहेगी एवं इनको संरक्षित रखने की जिम्मेदारी भी यूजर एजेन्सी की होगी।	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा इस आशय का वचनबद्धता प्रमाण पत्र संलग्न है कि प्रत्यावर्तित क्षेत्र के आस-पास में वनस्पति / वन्यजीव (Flora/Fauna) की क्षति न होने की यूजर एजेन्सी की जिम्मेदारी रहेगी एवं इनको संरक्षित रखने की जिम्मेदारी भी यूजर एजेन्सी की होगी। (संलग्नक-7)
8.	उप वन संरक्षक द्वारा विद्युत लाईन के नीचे रिक्त पड़े स्थानों पर छोटे / बौने पौधों (औषधीय महत्व) के वृक्षारोपण की योजना बनाकर मुख्य वन संरक्षक से अनुमोदित करा प्रयोक्ता अभिकरण के व्यय पर वृक्षारोपण करावा जावेगा।	इस शर्त को प्रकरण में जारी स्वीकृति में संशोधन द्वारा हटा दिया गया है। (संशोधन पत्र क्रमांक प. 1 (28) वन/2023 दिनांक 09.06.2023)

  
**Project Director**  
**NHAI, PIU - Sohna**

क्र. सं.	स्थितिया	अनुपालन
9.	प्रयोक्ता अभिकरण, सैद्धान्तिक स्वीकृति की पालना के साथ एफ.आर.ए. सर्टिफिकेट प्रस्तुत करावेगा। तदोपरान्त ही विधिवत स्वीकृति पर विचार किया जावेगा।	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा सैद्धान्तिक स्वीकृति की पालना के साथ एफ.आर.ए. सर्टिफिकेट प्रस्तुत किया जा रहा है। (संलग्नक-8)
10.	प्रयोक्ता अभिकरण के व्यय पर वन विभाग द्वारा शून्य से 10 वृक्षों का पातन होने पर 100 वृक्षों तथा 10 से अधिक वृक्षों का पातन होने पर पातन किये जाने वाले वृक्षों का दस गुना संख्या में वृक्षों का वृक्षारोपण एवं 10 वर्षों तक रखरखाव किया जयेगा। इस हेतु प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा वर्तमान दरों का समाहित करते हुये राशि वेबपोर्टल OSMFWP (Online Submission & Monitoring of Forest & Wildlife Clearance Portal) द्वारा सृजित ई-चालान द्वारा जमा की जायेगी।	वन विभाग द्वारा शून्य से 10 वृक्षों का पातन होने पर 100 वृक्षों तथा 10 से अधिक वृक्षों का पातन होने पर पातन किये जाने वाले वृक्षों का दस गुना संख्या में वृक्षों का वृक्षारोपण एवं 10 वर्षों तक रखरखाव किया जयेगा। इस हेतु प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा वर्तमान दरों का समाहित करते हुये राशि वेबपोर्टल OSMFWP (Online Submission & Monitoring of Forest & Wildlife Clearance Portal) द्वारा सृजित ई-चालान द्वारा जमा किया गया है। Demand note (संलग्नक -9), e-challan (संलग्नक -10), RTGS details (संलग्नक -11) एवं CAMPA Confirmation (संलग्नक -12) की छायाप्रति संलग्न है।
11.	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा माननीय उच्चतम न्यायालय के रिट पिटीशन (सिविल) 202/1995 के अंतर्गत आई.ए. संख्या 566 एवं भारत सरकार के पत्र संख्या 5-3/2007-एफ.सी. दिनांक 05.02.2009 के तहत में दिये गए आदेशानुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन.पी.वी.) की निर्धारित राशि जमा की जायेगी।	माननीय उच्चतम न्यायालय के रिट पिटीशन (सिविल) 202/1995 के अंतर्गत आई.ए. संख्या 566 एवं भारत सरकार के पत्र संख्या 5-3/2007-एफ.सी. दिनांक 05.02.2009 के तहत में दिये गए आदेशानुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन.पी.वी.) की निर्धारित राशि challan no. 61150326191 एवं RTGS ICICIR52023072000344006/U BIN0996335/RAJASTHANCA MPA के तहत दिनांक 20.07.2023 में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा जमा कर दिया गया है। Demand note (संलग्नक -9),

क्र. सं.	स्थिति	अनुपालन
		e-challan (संलग्नक -10), RTGS details (संलग्नक -11)। एवं CAMPA Confirmation (संलग्नक -12) की छायाप्रति संलग्न है।
12.	<p>प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा माननीय उच्चतम न्यायालय के रिट पिटीशन (सिविल) 202/1995 के अन्तर्गत आई.ए. संख्या 566 एवं भारत सरकार के पत्र संख्या 5-3/2007-एफ.सी. दिनांक 05.02.2009 तथा पत्र 12-2/2010-CAMPA दिनांक 09.06.2016 में दिये गए आदेशानुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन.पी.वी.) की निर्धारित राशि जमा की जावेगी। उपरोक्त अनुदेशों के अनुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य तथा दूसरी सभी निधियां प्रतिपूर्ति पौधरोपन निधि प्रबंधन तथा योजना प्राधिकरण के तदर्थ निकाय के वेबपोर्टल OSMFWP द्वारा सृजित ई-चालान द्वारा जमा करायी जायेगी। जिसके उपरांत ई-चालान की छाया प्रति, जमा की गई धनराशि का बैंक चालान/यूटीआर संख्या/एनईएफटी नम्बर की छाया प्रति सहित सैद्धान्तिक स्वीकृति की अनुपालना आख्या (जिसमें जमा की गई राशि का मदवार विवरण हो) प्रेषित की जाए, तदोपरांत विधिवत स्वीकृति पर विचार किया जावेगा।</p>	<p>माननीय उच्चतम न्यायालय के रिट पिटीशन (सिविल) 202/1995 के अन्तर्गत आई.ए. संख्या 566 एवं भारत सरकार के पत्र संख्या 5-3/2007-एफ.सी. दिनांक 05.02.2009 तथा पत्र 12-2/2010-CAMPA दिनांक 09.06.2016 में दिये गए आदेशानुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन.पी.वी.) की निर्धारित राशि challan no. <b>61150326191</b> एवं RTGS <b>ICICIR52023072000344006/U BIN0996335/RAJASTHANCA MPA</b> के तहत दिनांक <b>20.07.2023</b> में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा जमा कर दिया गया है। Demand note (संलग्नक -9), e-challan (संलग्नक -10), RTGS details (संलग्नक -11) एवं CAMPA Confirmation (संलग्नक -12) की छायाप्रति संलग्न है।</p>
13.	<p>प्रयोक्ता अभिकरण इस आशय का वचनबद्धता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करेंगे कि सक्षम स्तर से यदि एन.पी.वी. की दरों में बढ़ोतरी होती है तो बढ़ी हुई धन राशि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा जमा की जाएगी।</p>	<p>प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा इस आशय का वचनबद्धता प्रमाण पत्र संलग्न है कि सक्षम स्तर से यदि एन.पी.वी. की दरों में बढ़ोतरी होती है तो बढ़ी हुई धन राशि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा जमा की जाएगी। (संलग्नक -13)</p>

  
**Project Director**  
**NHAI, PIU - Sohna**

क्र. सं.	स्थितिया	अनुपालन
14.	राज्य सरकार द्वारा दी गई उक्त अनुमति का प्रबोधन संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय, वन एवं पर्यावरण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा किया जा सकेगा।	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा इस आशय का वचनबद्धता प्रमाण पत्र संलग्न है कि राज्य सरकार द्वारा दी गई उक्त अनुमति का प्रबोधन संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय, वन एवं पर्यावरण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा किया जा सकेगा। (संलग्नक -14)
15.	भारत सरकार के पत्रांक 7-23/2012/एफसी दिनांक 24.07.2013 से माननीय ग्रीन ट्रिब्यूनल द्वारा दिनांक 07.11.2012 को पारित निर्णय की पालना प्रकरण में सुनिश्चित की जावें तथा प्रकरण में जारी स्वीकृति को यूजर एजेंसी द्वारा हिन्दी एवं अंग्रेजी में प्रकाशित होने वाले समाचार पत्रों में अक्षरशः प्रकाशित करावें एवं जारी स्वीकृतियों की प्रतियां लोकल बॉडीज, पंचायत एवं नगरपालिका के राजकीय अधिकारियों को स्वीकृति प्राप्ति के 30 दिन के अन्दर उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा इस आशय का वचनबद्धता प्रमाण पत्र संलग्न है कि भारत सरकार के पत्रांक 7-23/2012/एफसी दिनांक 24.07.2013 से माननीय ग्रीन ट्रिब्यूनल द्वारा दिनांक 07.11.2012 को पारित निर्णय की पालना प्रकरण में सुनिश्चित की जाएगी। प्रकरण में जारी स्वीकृति को यूजर एजेंसी द्वारा हिन्दी एवं अंग्रेजी में प्रकाशित होने वाले समाचार पत्रों में अक्षरशः प्रकाशित कराया गया है {संलग्नक -15 (1), संलग्नक -15 (2) एवं संलग्नक -15 (3)} एवं जारी स्वीकृतियों की प्रतियां लोकल बॉडीज, पंचायत एवं नगरपालिका के राजकीय अधिकारियों को उपलब्ध कराया गया है। {संलग्नक -16 (1) एवं संलग्नक 16(2)}
16	स्टाम्प पेपर	शर्तों का अनुपालन 100 रुपये के स्टाम्प पेपर पर जमा किया गया है, जिसकी मूल प्रति संलग्नक-17 के रूप में संलग्न है।



**Project Director**

**PIU-Sohna**

**Project Director  
NHAI, PIU - SOHNA**



राजस्थान सरकार  
वन विभाग

क्रमांक: प. 1 (28) वन/2023  
प्रधान मुख्य वन संरक्षक, (HoFF)  
राजस्थान, जयपुर

जयपुर, दिनांक:- 19.05.2023

विषय:- Diversion of 0.76 ha. forest land for Development of Economic Corridors Inter Corridors and Feeder Routes to improve the Efficiency of freight movement in India under Bharatmala Pariyojana (Lot-6/Package-4)-Paniyala-Alwar-Barodameo.

संदर्भ :- प्रस्ताव संख्या (Proposal No. FP/RJ/ROAD/150326/2021)

महोदय,

उपरोक्त प्रस्ताव में भारत राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (प्रयोक्ता अभिकरण) द्वारा वन संरक्षण अधिनियम 1980 के अन्तर्गत सामान्य स्वीकृति के तहत धारा-2 में भारतमाला परियोजना (लॉट-6/पैकेज-4) पनियाला-अलवर-बडौदामेव के तहत भारतमें माल ढुलाई की दक्षता में सुधार के लिए आर्थिक गलियारों, इंटर कॉरिडोर और फीडरमार्गों के विकास हेतु कुल 0.76 हैक्टर वन भूमि प्रत्यावर्तन की स्वीकृति चाही गई है। नोडल अधिकारी वन संरक्षण अधिनियम द्वारा प्रस्तुत किये गये प्रस्ताव पर विचारोपरान्त प्रस्ताव पर वन संरक्षक अधिनियम के अन्तर्गत सामान्य दिशा-निर्देशों के परिपेक्ष्य में Diversion of 0.76 ha. forest land for Development of Economic Corridors Inter Corridors and Feeder Routes to improve the Efficiency of freight movement in India under Bharatmala Pariyojana (Lot-6/Package-4)-Paniyala-Alwar-Barodameo की सैद्धान्तिक स्वीकृति 18 वृक्षों के पातन सहित निम्न शर्तों के अधधीन प्रदान करती है:-

1. वन भूमि की वैधानिक स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होगा।
2. प्रत्यावर्तित वन भूमि का उपयोग किसी अन्य प्रयोजन के लिये नहीं किया जावेगा।
3. रात्रि केम्पिंग नहीं की जायेगी।
4. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा निर्माण कार्य के दौरान स्थल पर कार्यरत मजदूरों/स्टाफ को रसोई गैस/केरासिन तेल आपूर्ति की जायेगी, ताकि निकटवर्ती वनों को क्षति न हो।
5. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तावित वनभूमि के अतिरिक्त आस-पास की वनभूमि से/पर निर्माण कार्य के दौरान मिट्टी/पत्थर काटने एवं भरने का कार्य नहीं किया जावेगा।
6. प्रयोक्ता अभिकरण वर्तमान एवं भविष्य में योजना पर लागू सभी नियम, कानून तथा दिशा निर्देशों का पानल करेगा।
7. प्रत्यावर्तित क्षेत्र के आस-पास में वनस्पति/वन्यजीवन (Flora/Fauna) की क्षति न होने की यूजर एजेन्सी की जिम्मेदारी रहेगी एवं इनको संरक्षित रखने की जिम्मेदारी भी यूजर एजेन्सी की होगी।
8. उप वन संरक्षक द्वारा विद्युत लाईन के नीचे रिक्त पड़े स्थानों पर छोटे/बौने पौधों (औषधीय महत्त्व) के वृक्षारोपण की योजना बनाकर मुख्य वन संरक्षक को अनुमति प्रयोक्ता अभिकरण के व्यय पर वृक्षारोपण करावा जावेगा

कार्यालय पता:- वन विभाग कार्यालय, कमरा नम्बर 8324, उत्तर में प्रवेश, राजस्थान जयपुर,  
दूरभाष संख्या- 0141-2227762 Mail ID ads\_forest@rajasthan.gov.in Date: 2023.05.19 17:53:25 IST

RajKaj Ref No. : 3882793

Digitally signed by Malli Sen  
Designation: Deputy Conservator  
Reason: Approved

Project Director  
NHAI, PIU - Sohna





3. अति. प्रधान मुख्य वन संरक्षक, वन सुरक्षा एवं नोडल अधिकारी एफ.सी.ए, राजस्थान, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि इस प्रकार के प्रकरणों में जारी की गई स्वीकृतियों की मासिक सूचना संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय को प्रत्येक माह की 5 तारीख तक प्रेषित की जावे।
4. मुख्य वन संरक्षक
5. जिला कलेक्टर, अलवर।
6. उप वन संरक्षक, अलवर।
7. प्रबंधक, NATIONAL HIGHWAY AUTHORITY OF INDIA PIU SOHNA , G-5 & 6,SECTOR 10 ,DWARKA,NEW DELHI South West 110075 NEAR METRO STATION SECTOR 10 DWARKA
8. रक्षित पत्रावली।

विशेषाधिकारी, वन

Project Director  
NHAI, PIU - Sohna

Signature valid

Digitally signed by Manali Sen  
Designation: Deputy Conservator  
of Forest

कार्यालय पता:- वन विभाग कार्यालय , कमरा नम्बर 8324 , उल्हास मंडिरा, भवन, जयपुर, राजस्थान जयपुर,  
दूरभाष संख्या- 0141-2227762 Mail ID [ads.forest@rajasthan.gov.in](mailto:ads.forest@rajasthan.gov.in) Date: 2023-05-17 17:52:25 IST

RajKaj Ref No. : 3882793

Reason: Approved





राजस्थान सरकार  
वन विभाग

क्रमांक: प. 1 (28) वन/2023.

जयपुर, दिनांक:- 09.06.2023

**शुद्धि पत्र**

Diversion of 0.76 ha. forest land for Development of Economic Corridors Inter Corridors and Feeder Routes to improve the Efficiency of freight movement in India under Bharatmala Pariyojana (Lot-6/Package-4)-Paniyala-Alwar-Barodameo. (Proposal No. FP/RJ/ROAD/150326/2021 के संबंध में इस विभाग के समसंख्यक सैद्धान्तिक स्वीकृति पत्र दिनांक 19.05.2023 में वर्णित शर्त संख्या 8 को विलोपित किया जाता है साथ ही शर्त 10 में निम्नानुसार संशोधन किया जाता है:-

“प्रयोक्ता अभिकरण के व्यय पर वन विभाग द्वारा शून्य से 10 वृक्षों का पातन होने पर 100 वृक्षों तथा 10 से अधिक वृक्षों का पातन होने पर पातन किये जाने वाले वृक्षों का दस गुना संख्या में वृक्षों का वृक्षारोपण एवं 10 वर्षों तक रखरखाव किया जायेगा। इस हेतु प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा वर्तमान दरों को समाहित करते हुये राशि वेबपोर्टल OSMFWP (Online Submission & Monitoring of Forest & Wildlife Clearance Portal) द्वारा सृजित ई-चालान द्वारा जमा की जायेगी।”

आज्ञा से

( मोनाली सेन )  
विशेषाधिकारी, वन

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. अपर वन महानिदेशक-वन, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, इन्दिरा पर्यावरण भवन, अलीगंज, जोर बाग रोड, नई दिल्ली-110003
2. उप वन महानिरीक्षक (केन्द्रीय), भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय जयपुर कक्ष संख्या बी-ब्लॉक, अरण्य भवन झालाना, जयपुर।
3. अति. प्रधान मुख्य वन संरक्षक, वन सुरक्षा एवं नोडल अधिकारी एफ.सी.ए. राजस्थान, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि इस प्रकार के प्रकरणों में जारी की गई स्वीकृतियों की मासिक सूचना संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय को प्रत्येक माह की 5 तारीख तक प्रेषित की जावे।
4. मुख्य वन संरक्षक
5. जिला कलेक्टर, अलवर।
6. उप वन संरक्षक, अलवर।
7. प्रबंधक, NATIONAL HIGHWAY AUTHORITY OF INDIA PIU SOHNA, G-5 & 6, SECTOR 10 ,DWARKA, NEW DELHI South West 110075 NEAR METRO STATION SECTOR 10 DWARKA
8. रक्षित पत्रावली।

Signature valid

Digitally signed by Monali Sen  
Designation: Deputy Conservator  
Of Forest  
Date: 2023.06.09 13:51:39 IST  
Reason: Approved

Project Director  
NHAI, PIU - Sohna

